		प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। c) नौकायन अनुभव की गणना संभावित उम्मीदवार के निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र में उल्लिखित जहाजों से साइन-ऑन और साइन-ऑफ से संबंधित प्रविष्टियों से की जानी है। d) शैक्षणिक योग्यता सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से होनी चाहिए। e) योग्य मामलों में वेतन बैंड के भीतर उच्च शुरुआत पर विचार किया जा सकता है। f) योग्यता की प्रासंगिकता और आवेदनों की स्क्रीनिंग विशेषज्ञ जांच समिति द्वारा किया जाएगा।

नोट: दिनांक 19-07-2018 के राजपत्र 273 में 2018 के अध्यादेश 09 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना एतद्वारा निरसित की जाती है।

2022 का अध्यादेश 04

[ईसी 2022-65-06 तिथि 20.04.2022]

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (भा.स.वि.)

(पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)

वर्ष 2008 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के बाद

संबद्धता प्रक्रिया हैंडबुक

कॉलेजों / संस्थानों के पाठ्यक्रम के लिए
भा.स.वि. संबद्धता और मान्यता प्रक्रिया

www.imu.edu.in

परिभाषाएँ

1.	"शैक्षणिक वर्ष" का अर्थ है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वर्ष
2.	"अधिनियम" का अर्थ है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008।
3.	"भा.स.वि. वेब-पोर्टल" या "विश्वविद्यालय की वेबसाइट" का अर्थ है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा यूआरएल www.imu.edu.in पर होस्ट की गई वेबसाइट
4.	"संबद्धता प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच)" भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका है जिसमें संबद्धता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए मानदंड और मानक निर्धारित किए गए हैं।
5.	"आवेदक" वह व्यक्ति है जो इन प्रक्रिया और आवश्यकताओं के तहत किसी भी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को आवेदन करता है।
6.	"संस्था के प्रमुख" का अर्थ है प्रधानाचार्य या निदेशक या निर्दिष्ट संस्थान के प्रशासनिक प्रमुख जैसे अन्य पदनाम।
7.	"ट्रस्ट" का अर्थ है भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट जो समय-समय पर संशोधित या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
8.	"निदेशक" का अर्थ है अनुसंधान व विकास प्रमुख या प्रत्येक उन्नत अध्ययन केंद्र या भा.स.वि. के परिसरों का प्रमुख।
9.	"शिक्षक/संकाय" का अर्थ ऐसे डीन, निदेशक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, व्याख्याता और अन्य समान व्यक्ति से है जिन्हें क़ानून द्वारा शिक्षक घोषित किया जा सकता है।
10.	"अनुमोदित संस्थान" का अर्थ उस संसथान से है जो एक या एक से अधिक पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए भा.स.वि. द्वारा अनुमोदित है, जहां उन पाठ्यक्रमों के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है यानी डीजीएस / एआईसीटीई। उदाहरण के लिए बीबीए
11.	"संबद्ध संस्थान" का अर्थ वह संस्थान है जो पहले से ही डीजीएस और/या एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित है और एक या अधिक पाठ्यक्रमों की पेशकश हेतु भा.स.वि. द्वारा संबद्ध है। उदाहरण के लिए बी.टेक-एमई / एमबीए।
12.	"डीजीएस" या "डीजी शिपिंग" का अर्थ है शिपिंग के महानिदेशक, जबकि "निदेशालय" का अर्थ है "नौवहन महानिदेशालय"
13.	"विश्वविद्यालय" का अर्थ है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
14.	"प्रशिक्षक" का अर्थ है कौशल-आधारित प्रशिक्षक।

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अध्याय - I - परिचय	1
2.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम 2008	1
3.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का क़ानून	2
4.	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अध्यादेश	3
5.	अध्याय - II - अनुमोदन/संबद्धता के लिए प्रक्रिया	6
6.	अस्थायी संबद्धता के लिए मानदंड	6
7.	आवश्यकताएं और प्रक्रिया	6
8.	पूंजी के लिए निधि	8
9.	पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए पूर्वापेक्षाएँ	8
10.	अनुमोदन की वैधता	8

11.	पूर्वप्रभावी प्रभाव के साथ कोई अनुमोदन/संबद्धता न होना	8
12.	संस्थान का नाम	8
13.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	9
14.	विज्ञापन / विवरणिका / विवरण-पत्रिका (प्रोस्पेक्टस) के लिए आचार संहिता	9
15.	रैगिंग पर प्रतिबंध	9
16.	शराब, तंबाकू और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध	10
17.	संस्थान के रिकॉर्ड	10
18.	गुणवत्ता मानक	10
19.	वार्षिक प्रतिवेदन	10
20.	विवाद निवारण और न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र	11
21.	स्थायी संबद्धता के लिए मानदंड	11
22.	अध्याय - III - परिसर की अवसंरचना	14
23.	परिसर का स्थानांतरण	14
24.	अध्याय - IV - संकाय	15
25.	संकाय संख्या	15
26.	संकाय की स्वीकृति	15
27.	अभ्यागत संकाय और अतिथि प्राध्यापक	15
28.	संकाय की योग्यता	15
29.	प्रशिक्षण और छुट्टी आरक्षण	15
30.	प्रशिक्षक	16
31.	अध्याय-V-पाठ्यक्रम सुविधाएं और फीस	17
32.	पाठ्यक्रम संख्या	17
33.	विघटित बैच	17
34.	प्रवेश मानक	17
35.	दस्तावेजों का सत्यापन	17
36.	विस्तृत शिक्षण पाठ्यक्रम	17
37.	मूल मॉड्यूलर पाठ्यक्रम	17
38.	पाठ्यक्रम तिथियां	18
39.	मूल्यांकन और निगरानी	18
40.	छात्रों का आकलन	18
41.	फीस	18
42.	फीस जमा करने की पद्धति	18
43.	अध्याय - VI- अनुशासनात्मक कार्यवाही	19

44.	निरीक्षण दल (आईटी) की भूमिका	19
45.	कमियों के प्रकार	19
46.	अनुमोदन/संबद्धता का विथड्रावल	21
47.	विथड्रावल की प्रक्रिया	21
48.	भा.स.वि. अनुमोदित/संबद्ध पाठ्यक्रमों को बंद करना/संस्था को बंद करना	23
49.	स्वीकृत/संबद्ध संस्थानों की स्वत: अस्वीकृति/असंबद्धता	24
50.	अनुलग्नक-I	26
51.	अनुलग्नक II	52
52.	अनुलग्नक-III	55
53.	अनुलग्नक-IV	59
54.	परिशिष्ट - 1 - संबद्धता के लिए कार्यक्रम	62
55.	परिशिष्ट- 2 - निरीक्षण समिति फीस /संबद्धता फीस	63
56.	परिशिष्ट - 3 - भूमि आवश्यकताएं	65
57.	परिशिष्ट - 4- निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताएं	68
58.	परिशिष्ट - 5 - आवश्यक और वांछनीय आवश्यकताएं	73
59.	परिशिष्ट - 6- पुस्तकों, पुस्तकालय, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटर, प्रयोगशाला उपकरण के लिए मानदंड	78
60.	परिशिष्ट - 7- संकाय आवश्यकताएं और कैडर अनुपात	82
61.	संदर्भ	85

अध्याय- I

परिचय

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, वर्ष 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित, केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो केंद्र सरकार से धन प्राप्त करता है। विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में विस्तारित है।

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का मुख्यालय चेन्नई के सेमेनचेरी में है जो मुख्य शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है।

विश्वविद्यालय एक शिक्षण-सह-संबद्ध विश्वविद्यालय है और उन कॉलेजों / संस्थानों को संबद्धता और मान्यता प्रदान करता है जो मौजूदा विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और संबद्ध कॉलेजों / संस्थानों में भर्ती छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करते हैं। संस्थान जो भा.स.वि. से संबद्धता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई जानकारी को पढ़ना आवश्यक है।

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम 2008

विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं:

i. समुद्री अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्य को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देना, जहां ध्यान अध्ययनों के उभरते क्षेत्रों पर है जैसे समुद्र विज्ञान, समुद्री इतिहास, समुद्री कानून, समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव, खतरनाक कार्गो के परिवहन, पर्यावरण अध्ययन और अन्य संबंधित क्षेत्रों और इन और जुड़े क्षेत्रों और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

ii. मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए विशेष अध्ययन आरम्भ करने का प्रावधान करना।

iii. परिसरों, कॉलेजों, संस्थानों, विभागों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, अनुसंधान केंद्रों, प्रशिक्षण और विशेष अध्ययन केंद्रों की स्थापना और रखरखाव करना।

iv. मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के समूह की सेवा के लिए परिसरों की स्थापना का प्रावधान करना और ऐसे परिसरों में पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर केंद्रों और इसी तरह के शिक्षण केंद्रों के रूप में सामान्य संसाधन केंद्रों की व्यवस्था करना और उनका रखरखाव करना।

v. ऐसे शर्तों के अधीन, अनुदान देने हेतु, जो विश्वविद्यालय नाविकों की योग्यता प्रमाणपत्र के अलावा डिप्लोमा, प्रमाण पत्र निर्धारित कर सकता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्णय लेने और डिग्री प्रदान करने तक भारत सरकार के नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी किया जाना जारी रहेगा और परीक्षाओं, मूल्यांकन या व्यक्तियों के परीक्षण के किसी अन्य तरीके के आधार पर, डिग्री या अन्य शैक्षणिक डिस्टिंक्शन प्रदान करना, और अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए ऐसे किसी भी डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, डिग्री या अन्य शैक्षणिक डिस्टिंक्शन विथड्रॉ करना।

vi. क़ानूनों द्वारा निर्धारित तरीके से मानद डिग्री या अन्य डिस्टिंक्शन प्रदान करना।

vii. विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक निदेशक पद, प्राचार्य पद, प्रोफेसर पद, सह प्रोफेसर पद, सहायक प्रोफेसर पद और अन्य शिक्षण या शैक्षणिक पदों को स्थापित करना और ऐसे प्राचार्य पद, प्रोफेसर पद, सह प्रोफेसर पद, सहायक प्रोफेसर पद या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना।

viii. इस उद्देश्य के लिए स्थापित उपयुक्त मशीनरी के माध्यम से मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करना, और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनके द्वारा निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण के उचित मानकों को बनाए रखा जाता है, और पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अस्पताल, कार्यशाला और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

ix. स्व-वित्तपोषित कॉलेजों और संस्थानों के छात्रों पर लगाए जाने वाले फीस और अन्य शुल्क निर्धारित करना।

x. कॉलेज और संस्थान को अपने विशेषाधिकारों को स्वीकार करने के लिए, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नहीं हैं, और उन सभी या किसी भी विशेषाधिकार को ऐसी शर्तों के अनुसार वापस लेने के लिए जो कि कानूनों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

xi. कॉलेजों और संस्थानों की मान्यता के लिए फीस निर्धारित करना।

xii. विभागों, मान्यता प्राप्त संस्थानों, स्कूलों और अध्ययन केंद्रों में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के प्रवेश को नियंत्रित और विनियमित करना।

xiii. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और कॉलेजों और संस्थानों के कर्मचारियों के काम और आचरण को विनियमित करने के लिए।

xiv. मान्यता प्राप्त कॉलेजों और संस्थानों के प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित करना।

xv. किसी कॉलेज या संस्थान या विभाग, जैसा भी मामला हो, को क़ानून के अनुसार स्वायत्त दर्जा प्रदान करना।

इस अधिनियम, या क़ानून या अध्यादेशों में निहित होते हुए भी, किसी कॉलेज या संस्थान का कोई भी छात्र, जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के लिए ऐसे कॉलेज या संस्थान के प्रवेश से ठीक पहले डिग्री, डिप्लोमा या किसी भी अधिनियम के तहत गठित किसी भी विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन कर रहा था, विश्वविद्यालय द्वारा उस डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के लिए अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो, और विश्वविद्यालय ऐसे कॉलेज या संस्थान या विश्वविद्यालय, जैसा भी मामला हो, के अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्देशों और ऐसे छात्र के और परीक्षा प्रदान करेगा।"

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के कानून

भा.स.वि. अधिनियम की धारा 23

"संबद्धता और मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए कॉलेजों और संस्थानों को प्रवेश देने के लिए जिम्मेदार होगा।"

भा.स.वि. अधिनियम का क़ानून 34

1. "विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित कॉलेजों और अन्य संस्थानों को विश्वविद्यालय के ऐसे विशेषाधिकार दिए जा सकता है जैसा कि कार्यकारी परिषद निम्नलिखित शर्तों पर निर्णय ले सकती है, अर्थात्:—

(i) ऐसे प्रत्येक कॉलेज या संस्थान में एक नियमित रूप से गठित शासी निकाय होगा, जिसमें कार्यकारी परिषद द्वारा

अनुमोदित पंद्रह से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे और अन्य के अलावा, विश्वविद्यालय के दो शिक्षकों को कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा और शिक्षण स्टाफ के तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे जिसमें से कॉलेज या संस्था का प्राचार्य एक होगा। शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया और किसी कॉलेज या संस्थान के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले अन्य मामले अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

बशर्ते कि उक्त शर्तें सरकार द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजों और संस्थानों के मामले में लागू नहीं होंगी, हालांकि, सलाहकार समिति होगी जिसमें पंद्रह से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, जिसमें अन्य लोगों के अलावा, कॉलेज या संस्था के प्राचार्य सहित तीन शिक्षक होंगे, और विश्वविद्यालय के दो शिक्षक कार्यकारी परिषद द्वारा नामित होंगे।

(ii) ऐसा प्रत्येक कॉलेज या संस्थान निम्नलिखित मामलों पर कार्यकारी परिषद को संतुष्ट करेगा, अर्थात्:—

a) शिक्षण के लिए इसके आवास और उपकरणों की उपयुक्तता और पर्याप्तता;

b) इसके शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता और पर्याप्तता और उनकी सेवा की शर्तें;

c) छात्रों के निवास, कल्याण, अनुशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था;

d) कॉलेज या संस्थान के निरंतर रखरखाव के लिए किए गए वित्तीय प्रावधान की पर्याप्तता; और

e) ऐसे अन्य मामले जो विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए आवश्यक हैं।

(iii) किसी भी कॉलेज या संस्थान को विश्वविद्यालय के किसी भी विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे, सिवाय अकादमिक परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद की गई अकादमिक परिषद की सिफारिश की गई हो।

(iv) विश्वविद्यालय के किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त करने के इच्छुक कॉलेजों और संस्थानों को ऐसा करने के अपने प्रयोजन को लिखित रूप में सूचित करना होगा ताकि जिस वर्ष से प्रभाव के लिए अनुमति के लिए आवेदन किया गया हो, उस पूर्ववर्ती वर्ष की *01* अगस्त के पहले रजिस्ट्रार तक पहुंचें।

(v) कोई कॉलेज या संस्थान, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद की पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी विषय या अध्ययन के पाठ्यक्रम में शिक्षा को निलंबित नहीं करेगा, जिसे अध्ययन और पढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है।

2. विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त कॉलेजों या संस्थानों के शिक्षण स्टाफ और प्राचार्यों की नियुक्ति अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी, बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और संस्थानों पर लागू नहीं होगा।

3. खंड (*2*) में निर्दिष्ट प्रत्येक कॉलेज या संस्थान के प्रशासनिक और अन्य गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो अध्यादेशों में निर्धारित की जा सकती हैं, बशर्ते कि इस खंड में स्थित कोई भी सरकार द्वारा बनाए रखे कॉलेजों और संस्थानों पर लागू नहीं होगा।

4. विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त प्रत्येक कॉलेज या संस्थान का अकादमिक परिषद द्वारा नियुक्त समिति द्वारा द्विवार्षिक निरीक्षण किया जाएगा, और समिति की रिपोर्ट अकादमिक परिषद को प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे ऐसी सिफारिशें के साथ कार्यकारी परिषद को अग्रेषित करेगी, जो बनाने के लिए उसे उपयुक्त लग सकता है।

5. कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद की रिपोर्ट और सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, रिपोर्ट की एक प्रति कॉलेजों या संस्थानों के शासी निकाय को ऐसी टिप्पणियों के साथ, यदि कोई हो, जो वह उपयुक्त कार्रवाई के लिए उचित समझे, अग्रेषित करेगी।

6. कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद से परामर्श करने के बाद, किसी कॉलेज या संस्थान को दिए गए किसी भी विशेषाधिकार को किसी भी समय, वापस ले सकती है, यदि वह यह मानता है कि कॉलेज या संस्थान किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है जिसके पूरा होने पर कॉलेज या संस्थान को ऐसे विशेषाधिकारों के लिए स्वीकार किया गया है, बशर्ते कि किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेने से पहले, संबंधित कॉलेज या संस्थान के शासी निकाय को कार्यकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

7. खंड (*1*) में निर्धारित शर्तों के अधीन, अध्यादेश निर्धारित कर सकते हैं- (*a)* ऐसी अन्य शर्तें जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है; *(b)* विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए कॉलेजों और संस्थानों के प्रवेश के लिए और उन विशेषाधिकारों को वापस लेने की प्रक्रिया।

8. संबद्धता और मान्यता बोर्ड (बीएआर) का गठन और इसके सदस्यों के पद की शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अध्यादेश

1. "(a) 'कॉलेज' का अर्थ है विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला कोई भी कॉलेज या कोई संस्थान।

1. (b) 'संबद्ध कॉलेज/संस्थान का अर्थ है कोई भी कॉलेज/संस्थान जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नहीं है और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों प्राप्त है और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के लिए परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

1. (c) 'स्नातकोत्तर कॉलेज' का अर्थ है विश्वविद्यालय संस्थान या संबद्ध कॉलेज/संस्था जो विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री के लिए अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

1. (d) 'सरकारी कॉलेज' का अर्थ है सरकार (राज्य या केंद्र) या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा संचालित कोई भी कॉलेज/संस्थान है।

1. (e) 'निजी कॉलेज' का अर्थ है कोई कॉलेज/संस्थान जो विश्वविद्यालय या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित नहीं है।

1. (f) 'संबद्धता और मान्यता बोर्ड' (बीएआर) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के कानून के अनुसार गठित बोर्ड है

1. (g) एक स्वायत्त कॉलेज/संस्थान' का अर्थ है विश्वविद्यालय के कानूनों द्वारा स्वायत्त कॉलेज/संस्थान' के रूप में नामित कोई भी कॉलेज/संस्थान।

2. मान्यता का संबद्धता बोर्ड, अकादमिक परिषद के साथ परामर्श से, कॉलेज / संस्थान को स्वायत्त कॉलेज के रूप में नामित किया जा सकता है उस तरीके और शर्तों और ऐसे पदनाम को वापस लेने के लिए सूचित करेगा।

3. मान्यता का संबद्धता बोर्ड किसी भी क़ानून के मसौदे या किसी क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव नहीं करेगा, जो संबद्ध या अनुमोदित कॉलेज / संस्थान की विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्धता या अनुमोदन की शर्तों को प्रभावित करता है, जैसा भी मामला हो, या अकादमिक परिषद के साथ परामर्श के बाद के अलावा किसी भी कॉलेज/संस्थान को एक स्वायत्त कॉलेज/संस्थान के रूप में नामित करने की शर्तों को प्रभावित करता हैं।

4. a) जब भी कोई नया कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव किया जाता है, प्रायोजक निकाय या सरकारी कॉलेज के मामले में, संबंधित सरकारी विभाग, *01* अगस्त से पहले, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक- *I)* में रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ ऐसे कॉलेज को शुरू करने के लिए उपलब्ध अवसंरचना और भौतिक, वित्तीय और अन्य सुविधाओं की विस्तृत रिपोर्ट होना चाहिए। अस्थायी संबद्धता वाले मौजूदा कॉलेजों/संस्थानों के लिए, जो स्थायी संबद्धता प्राप्त करना चाहते है, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-*II)* में रजिस्ट्रार को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में भा.स.वि. द्वारा संबद्धता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम/पाठ्यक्रम परिशिष्ट-*1* में दिए गए हैं। संबद्धता फीस और निरीक्षण फीस का विवरण परिशिष्ट-*2* में दिया गया है।

4. b) इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए कॉलेजों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा*;* स्नातक-पूर्व कॉलेज और स्नातकोत्तर कॉलेज। इन दो श्रेणियों के लिए विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

4. c) एक स्नातक-पूर्व कॉलेज या स्नातकोत्तर कॉलेज, जैसा भी मामला हो, पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के लिए निर्देश प्रदान करने के लिए, पहली बार में, आमतौर पर विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों प्राप्त करेगा। इस तरह के कॉलेज को इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अनुसार अध्ययन के बाद के वर्षों में निर्देश प्रदान करने का और विशेषाधिकार दिया जा सकता है।

5. a) कॉलेज/संस्थान शुरू करने की अनुमति प्राप्त होने पर प्रायोजक निकाय शासी निकाय/सलाहकार समिति का गठन करेगा और प्राचार्य और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों के लिए नियुक्ति करने के लिए आगे बढ़ेगा जो उनकी संरचना, न्यूनतम योग्यता, नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में विश्वविद्यालय के कानून के प्रावधानों, अध्यादेशों और विनियम के अनुसार होगा।

5. b) इसके अलावा, शासी निकाय/सलाहकार समिति इस संबंध में बीएआर द्वारा बनाई गई सभी शर्तों और सिफारिशों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी।

5. c) कोई भी व्यक्ति, जो इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार योग्य नहीं है, उसे कॉलेज के कर्मचारियों या प्राचार्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। असाधारण मामलों में, हालांकि, यदि एक योग्य प्राचार्य आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो स्टाफ के सदस्यों में से एक, यदि मौजूदा है, जिसका कॉलेज स्तर पर, सबसे लंबा शिक्षण अनुभव है, उसे उप-प्राचार्य के रूप में नामित किया जा सकता है और प्राचार्य का पद ऐसे समय तक रिक्त रखा जा सकता है जब तक कि एक पूर्णतः योग्य व्यक्ति को प्राचार्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है।

5.d) किसी कॉलेज/संस्थान की शासी निकाय/सलाहकार समिति या सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, जल्द से जल्द लेकिन

शैक्षणिक सत्र शुरू होने की तारीख से *15* दिनों के पूर्व, विश्वविद्यालय को पूर्ण विवरण के साथ पद पर कर्मचारी के बारे में सूचित करेगा और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों, सिफारिशों की पूर्ति के संबंध में स्पष्टीकरण/स्वीकृति भी देगा।

6. विश्वविद्यालय कॉलेज/संस्थान की प्रगति की समीक्षा की व्यवस्था कर सकता है, सामान्य तौर पर शुरू किए गए पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के संदर्भ के साथ उसके प्रदर्शन और फिर नवीनीकरण की अनुमति दे सकता है।

7. कॉलेज/संस्थान, जिसे किसी पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई है, स्थायी संबद्धता के लिए आवेदन कर सकता है। कॉलेज/संस्था को स्थायी संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए निरीक्षण के समय से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए प्रक्रिया अस्थायी संबद्धता के समान ही है, बशर्ते कि असाधारण और शेष मामलों में, बीएआर की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा इस शर्त को माफ किया जा सकता है।

8. किसी भी कॉलेज को उसके शासी निकाय/सलाहकार समिति द्वारा किसी अन्य संबद्ध कॉलेज या कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए पूर्व व्यवस्था किए बिना और शिक्षण स्टाफ के स्थायी सदस्यों के रोजगार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना और पुस्तकालय पुस्तकों और प्रयोगशाला उपकरणों सहित किसी भी संपत्ति के अंतिम बंदोबस्त के संबंध में संबंधित सरकार, विश्वविद्यालय, जैसा आवश्यक हो, पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी कॉलेज को बंद या समाप्त नहीं किया जाएगा, जो कि ऐसे कॉलेज द्वारा सरकार से वित्तीय सहायता से अर्जित किया गया हो, बशर्ते कि किसी भी कॉलेज को शैक्षणिक सत्र के बीच में किसी भी परिस्थिति में बंद या समाप्त नहीं किया जाएगा।

9. बीएआर कार्यकारी परिषद के परामर्श के साथ कर्मचारियों, भवनों, उपकरणों, पुस्तकालय प्रयोगशालाओं, वित्त या अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में सामान्य या विशिष्ट संबद्धता की नई शर्तें निर्धारित कर सकता है और उस तिथि को निर्दिष्ट कर सकता है जिसके द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया जा सकता है, जिसके विफल होने पर कॉलेज/संस्थान को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

10. किसी कॉलेज/संस्थान की निरीक्षण समिति की रिपोर्ट कॉलेज/संस्थान को नहीं भेजी जाएगी, लेकिन जब तक विश्वविद्यालय द्वारा इस पर पहले विचार नहीं किया जाता है, तब तक इसे गोपनीय दस्तावेज माना जाएगा। संबद्धता के संबंध में निर्णय लेने के बाद, रिपोर्ट की प्रतियां, जब तक कि कुलपति के आदेश के तहत किसी भी कारण से रोकी न गई हो, कॉलेज / संस्थान को सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा सकती है।

11. a) एक प्रायोजक निकाय/सरकारी विभाग जो एक नया कॉलेज/संस्थान या कॉलेजों/संस्थानों शुरू करने की अनुमति मांग रहा है, जो पाठ्यक्रम शुरू करना चाहता है, परिशिष्ट *-2* में निर्दिष्ट दरों पर फीस का भुगतान करेगा।

11. b) ऐसे संबद्ध कॉलेज / संस्थान छात्रों से ट्यूशन फीस आदि के लिए ऐसी फीस ले सकते हैं जो कॉलेज और विश्वविद्यालय को भी देय है, जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित/अनुमोदित हो, और विश्वविद्यालय की पूर्व सहमति के साथ होगा।

12. कार्यकारी परिषद को किसी भी समय किसी कॉलेज/संस्थान से किसी भी संबद्धता या अनुमति को वापस लेने की सत्ता होगी, बीएआर की सिफारिश के आधार पर कि, ऐसी कॉलेज/संस्थान नियमों, विनियमों, कानूनों, विश्वविद्यालय के अध्यादेश या कोई अन्य निर्देश का पालन करने में विफल रहा है, या यदि कॉलेज / संस्थान के अधिकारी कॉलेज / संस्थान में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे हैं या कॉलेज/संस्थान के मामलों के कुप्रबंधन के कारण या या किसी अन्य वैध कारण से कॉलेज / संस्थान का सामान्य, नियमित और उचित कामकाज असंभव हो गया है, बशर्ते कि किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेने से पहले, संबंधित कॉलेज या संस्थान के शासी निकाय को कार्यकारी परिषद को यह प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

13. प्रत्येक कॉलेज/संस्थान को भौतिक अवसंरचना और शिक्षकों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, पुस्तकालय आदि के संदर्भ में शैक्षणिक आवश्यकताओं से संबंधित सभी मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना चाहिए।

14. इस अध्यादेश के किसी प्रावधान की व्याख्या या उसे लागू करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को, कुलपति को संदर्भित किया जाएगा, जिसकी व्याख्या या उस पर निर्णय अंतिम होगा।

15. a) अधिनियम और विधियों और विश्वविद्यालय के अन्य नियमों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी छात्र विश्वविद्यालय में अध्ययन के किसी भी स्नातक-पूर्व या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने संबंधित पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा या परीक्षाओं को पास नहीं कर लिया हो।

15. b) अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की जाएगी।"

अध्याय- II

अनुमोदन/संबद्धता के लिए प्रक्रिया

2.1 अस्थायी संबद्धता के लिए मानदंड

2.1.1 आवश्यकताएं और प्रक्रिया:

यूजी/पीजी कार्यक्रमों को संबद्ध करने का प्रस्ताव करने वाले कॉलेज/संस्थान को यहां बताई गई प्रक्रिया और आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (भा.स.वि.) से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। केवल सरकारी संस्थान और ऐसे संस्थान जो गैर-लाभकारी उद्देश्य से प्रचारित हैं, अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले 3 पूर्ववर्ती वर्षों के लिए गैर-लाभकारी संगठन के लिए ऑडिटेड खाते जमा किए जाने चाहिए और यदि संस्थान की स्थापना की गई है तो वित्तीय स्थिति को स्थापित करने की आवश्यकता है। (अनुलग्नक-I {क्रमांक 8 और क्रमांक 15} में दी गई जानकारी को वित्तीय स्थिति स्थापित करने के लिए संदर्भित किया जाएगा)।

क्रमांक	**फीस और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया**
1	संस्थान प्रस्तुत करेगा: a. भरा हुआ आवेदन पत्र (ऑनलाइन उपलब्ध- अनुलग्नक- I) प्रति पाठ्यक्रम रु.15000 फी के ऑनलाइन भुगतान के साथ + जीएसटी [आवेदन फी रु.5000 + पंजीकरण फी रु. 10000] और b. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शैक्षणिक वर्ष के कार्यक्रमों के लिए चालू वर्ष के 01 जनवरी से पहले और कैलेंडर वर्ष के कार्यक्रमों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के 01 जुलाई से पहले।
2	आवेदन की जाँच कुलपति द्वारा गठित कमेटी करेगी। यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, तो संस्थान को प्रति पाठ्यक्रम 40000 रुपये (ऑनलाइन) की प्रोसेसिंग फी + जीएसटी का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाएगा।
3	आवेदक विस्तृत प्रस्तुतिकरण करेगा।
4	संतुष्ट होने पर, कुलपति द्वारा गठित निरीक्षण दल निरीक्षण के लिए संस्थान का दौरा करता है।
5	कमियों के मामले में, अनुपालन के लिए पुन: निरीक्षण।
6	जाँच रिपोर्ट बीएआर के समक्ष रखी जाएगी।
7	एसी/ईसी का अनुमोदन।
8	एसी/ईसी के निर्णय की सूचना दी जाएगी।
9	संस्थान संबद्धता फी का भुगतान करेगा। संबद्धता फी की प्राप्ति के बाद संबद्धता प्रदान की जाती है।

निम्नलिखित मामलों को संबद्धता के लिए नए आवेदन के रूप में माना जाता है:

a. नए संस्थान की शुरुआत।

b. मौजूदा कार्यक्रम के प्रवेश में वृद्धि।

c. मौजूदा कार्यक्रमों के अलावा नए कार्यक्रम की शुरुआत।

निरीक्षण में पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक के रूप में संकाय, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, पाठ योजना, कक्षा समय-सारणी, निर्देश योजना, शैक्षणिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं सहित परिसर में जहाज (डीजीएस पाठ्यक्रमों के लिए) की जाँच शामिल होगी।

यदि कोई नया संस्थान स्थापित करने के दौरान, भा.स.वि. को सूचना प्राप्त होती है कि झूठा दावा किया गया है या गलत सूचना दी गई है, तो भा.स.वि. से संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया को निलंबित कर सकता है। इसके अलावा, सुनने का उचित अवसर देने के बाद, भा.स.वि. से संस्थान को पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं देने का निर्णय ले सकता है। मौजूदा संस्थान के मामले में, यदि शर्तों का उल्लंघन होता है, तो नए पाठ्यक्रमों के अनुमोदन या प्रवेश में वृद्धि की प्रक्रिया निलंबित मानी जाएगी।

2.1.2 पूंजी के लिए निधि

प्रारंभिक पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय के लिए संस्थान के वित्त पोषण का स्रोत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए वित्त की उपलब्धता के प्रमाण की आवश्यकता होगी।

2.1.3. पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए पूर्वापेक्षाएँ

संस्थान लागू होने वाले नियामक निकाय (डीजीएस/एआईसीटीई) की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ऐसे निकायों द्वारा जारी अनुमोदन पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2.1.4. अनुमोदन की वैधता

a) जब पाठ्यक्रम की सभी आवश्यकताएं - वर्ष-वार पूरी हो गई हों, तो भा.स.वि. द्वारा अस्थायी अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। एक वर्ष या कम अवधि के पाठ्यक्रम के लिए प्रारंभिक अनुमोदन अंतिम होगा। 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए, प्रारंभिक अनुमोदन केवल एक वर्ष के लिए होगा। संस्थान का हर वर्ष निरीक्षण किया जाएगा और अंतिम वर्ष की मंजूरी मिलने तक वर्ष-वार मंजूरी दी जाएगी। नवीनीकरण के लिए अनुरोध पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 7 जनवरी को या उससे पहले प्रस्तुत किए जाएंगे।

b) सभी वर्षों के लिए अस्थायी अनुमोदन दिए जाने के बाद, संस्थान का द्विवार्षिक निरीक्षण किया जाएगा।

c) यदि आवश्यक हो तो भा.स.वि. को किसी भी समय औचक निरीक्षण करने का अधिकार है।

2.1.5. पूर्वप्रभावी प्रभाव के साथ कोई अनुमोदन/संबद्धता न होना

नए संस्थानों के लिए अनुमोदन/संबद्धता या नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत या प्रवेश क्षमता में भिन्नता संभावित होगी, न कि पूर्वव्यापी प्रभाव से। संस्थान बिना अनुमोदन/संबद्धता के उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं देंगे।

2.1.6. संस्थान का नाम

संस्थान के नाम को भा.स.वि. द्वारा अनुमोदित किया जाना है। किसी भी संस्थान को किसी भी शीर्षक या नाम का उपयोग करने या उपयोग करने को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो भारत सरकार या राज्य सरकार के संरक्षण का सुझाव दे सकता है या सुझाव देने का आशय रख सकता है।

2.1.7. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सभी संस्थानों को दो व्यक्तियों के नाम और नमूना हस्ताक्षर अग्रेषित करने चाहिए जिन्हें भा.स.वि. से निपटने के लिए क्रमशः अधिकृत प्रतिनिधि और वैकल्पिक प्रतिनिधि के रूप में घोषित किया गया है। संस्थान से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए भा.स.वि. द्वारा इन दो व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर ध्यान नहीं किया जाएगा। यदि उनमें से किसी एक में कोई परिवर्तन होता है, तो भा.स.वि. को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार, और/या भा.स.वि. के पास उपलब्ध सभी ट्रस्टियों या सोसायटी के अधिकृत प्रबंधन परिषद सदस्य या पंजीकृत कंपनी के निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित एक संकल्प द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

2.1.8. विज्ञापन / विवरणिका / विवरण-पत्रिका (प्रोस्पेक्टस) के लिए आचार संहिता

संस्थान उन पाठ्यक्रमों के लिए विज्ञापन दे सकता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

a) भा.स.वि. दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड।

b) पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के नाम।

c) पाठ्यक्रम की अवधि।

d) कुल फीस संरचना और ब्रेक अप के साथ देय सभी शुल्क।

e) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि।

f) प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया।

g) पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के प्रारंभ होने की तिथि।

h) ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस/विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि।

संस्थान को निम्नलिखित का विज्ञापन करने से बचना चाहिए:

a) छात्रों के पास होने का आश्वासन

b) संभावनाओं और उच्च वेतन का झूठा दिलासा।

c) एक ही विज्ञापन में भा.स.वि. अनुमोदित पाठ्यक्रमों और गैर-अनुमोदित पाठ्यक्रमों का मिश्रण।

प्रकाशित सभी विज्ञापनों की प्रतियां रिकॉर्ड के लिए भा.स.वि. को भेजी जाएंगी।

2.1.9. रैगिंग पर प्रतिबंध

रैगिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। रैगिंग की किसी भी घटना के लिए पाठ्यक्रम प्रभारी जिम्मेदार होंगे। रैगिंग में संलिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त, त्वरित और ठोस संभव कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी मामलों में संदेह का लाभ रैगिंग की पीड़िता को दिया जाएगा। रैगिंग के सभी मामलों का रिकॉर्ड, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो और संस्थान द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का रिकॉर्ड रखा जाएगा। रैगिंग के सभी मामलों की सूचना भा.स.वि. को तत्काल और किसी भी स्थिति में घटना घटित होने के 7 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। संस्थान में स्थापित रैगिंग के किसी भी घटना को गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसमें छात्र के निलंबन और संस्थान के खिलाफ उचित कार्रवाई सहित दंडात्मक प्रावधान शामिल होंगे।

2.1.10. शराब, तंबाकू और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध

संस्थान के पास शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की नीति होनी चाहिए और शराब, तंबाकू और ड्रग्स से परहेज करना चाहिए, विशेष रूप से एक छात्र के लिए एक मौजूदा बीमारी को ठीक करने के लिए निर्धारित औषधीय दवाओं को छोड़कर, सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इस आवश्यकता के उल्लंघन को छात्र और संस्थान द्वारा गंभीर कदाचार माना जाएगा।

2.1.11. संस्थान के रिकॉर्ड

संस्थान प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए अलग-अलग निर्धारित रिकॉर्ड, विज्ञापन और ब्रोशर बनाए रखेगा और निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।

2.1.12. गुणवत्ता के मानक

प्रत्येक संस्थान में अपने पहले भा.स.वि.-अनुमोदित पाठ्यक्रम और उसके बाद किसी भी नए भा.स.वि.-अनुमोदित पाठ्यक्रम के शुरू होने के छह महीने के भीतर, लागू आईएसओ 9001:2015 मानक या अनुमोदित समकक्ष की एक स्थापित गुणवत्ता प्रणाली होगी। गुणवत्ता नीति को केवल डीजीएस अनुमोदित पाठ्यक्रमों और उसके बाद संशोधनों के लिए प्रशिक्षण प्रमाणन और निगरानी (एसटीसीडब्ल्यू) (संशोधित) आवश्यकताओं के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.13. वार्षिक प्रतिवेदन

संस्थान भा.स.वि. द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-3 देखें) में भा.स.वि. को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

2.1.14. विवाद निवारण और न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

a) संबद्धता प्रक्रिया प्रदान करने के दौरान या उसके बाद, संस्था और भा.स.वि. के बीच किसी भी विवाद को बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है, जिसके विफल होने पर इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

b) इस संबंध में किसी भी संस्थान को पेश होने के लिए केवल भा.स.वि. मुख्यालय की स्थानीय अदालतों का अधिकार क्षेत्र ही सक्षम न्यायालय होगा।

2.2 स्थायी संबद्धता के लिए मानदंड:

2.2.1 पाठ्यक्रम के पहले बैच के सभी वर्षों के निरीक्षण के बाद, अस्थायी संबद्धता शुरू में 3 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी, और बाद में एक बार में 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी। समय-समय पर निर्धारित अनुसार निरंतरता फीस देय होगी, वर्तमान में 50,000 रुपये (स्वीकृत संख्या के बावजूद) की निरंतरता फीस प्लस लागू जीएसटी का भुगतान अस्थायी संबद्धता के विस्तारण/जारी रखने के समय हर 3 वर्ष में किया जाना है।

2.2.2 संबद्ध संस्थान लगातार 10 वर्ष पूरे करने पर स्थायी संबद्धता प्राप्त कर सकता है। स्थायी संबद्धता के लिए आवेदन (अनुलग्नक II) संस्थान की संबद्धता की तिथि से 9 वर्ष के अंत में भा.स.वि. को प्रस्तुत किया जाना है।

2.2.3 संस्था को संबद्धता प्रदान करते समय निर्धारित संबद्धता मानदंडों के अनुसार अपनी स्वयं की भूमि और भवन के लिए प्रमाण दिखाना चाहिए। भूमि के स्वामित्व के लिए कानूनी राय भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2.2.4 संस्था को संबंधित विषय में नियमित आधार पर (कम से कम 80%) शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए और सरकार/सांविधिक संगठनों द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसे शिक्षकों के पास भा.स.वि. के भर्ती नियमों द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। उसी का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

2.2.5 संस्था को संबद्धता प्रदान करने के लिए सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों के उल्लंघन की कोई घटना ध्यान में आती है, तो विश्वविद्यालय के पास संस्थान की संबद्धता को निर्धारित अवधि के लिए निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसका निर्णय उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर समिति द्वारा किया जाएगा।

2.2.6 संस्थान को विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा निर्धारित फीस और अन्य शुल्कों को छोड़कर अपने किसी भी छात्र या कर्मचारी से सीधे या अपने किसी संबद्ध ट्रस्ट आदि के माध्यम से कोई कैपिटेशन फीस या दान नहीं लेना चाहिए।

2.2.7 एक अ-सहायताप्राप्त कॉलेज के प्रबंधन को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अपने खातों का ऑडिट करना होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के भीतर वार्षिक लेखा की एक प्रति ऑडिट रिपोर्ट सहित निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2.2.8 प्रवेश विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

2.2.9 संबद्धता जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय किसी भी समय संस्थान का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.2.10 संस्थान को विश्वविद्यालय के विनियमों/नियमों के तहत बनाए रखे जाने वाले सभी रजिस्टरों और अभिलेखों और सांख्यिकीय डेटा को बनाए रखना चाहिए और जब भी विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक हो, उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

2.2.11 संस्था को स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना चाहिए।

2.2.12 कॉलेज की स्थायी संबद्धता की स्थिति को प्रभावित करने वाले किसी भी परिवर्तन या तो संकाय स्थिति या अवसंरचना सुविधाओं की सुविधा के मामले में विश्वविद्यालय के ध्यान में लाया गया, स्वचालित रूप से अयोग्यता का कारण बन जाएगा।

2.2.13 स्थायी संबद्धता चाहने वाले कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय को सभी देय राशि का भुगतान तत्काल किया जाना चाहिए।

2.2.14 स्थायी संबद्धता चाहने वाले संस्थान/कॉलेज को बिना किसी बड़ी कमी के तीन वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्यक्रम चलाना चाहिए जैसा कि अध्याय VI में वर्णित है। यदि तीन वर्षों की अवधि के दौरान छोटी कमी पाई जाती है, तो भा.स.वि. के पास स्थायी संबद्धता देने का निर्णय सुरक्षित है।

ध्यान दें: (i) स्थायी संबद्धता का अनुदान पांच वर्षों में एक बार समीक्षा के अधीन होगा।

(ii) सरकारी कॉलेजों के लिए नियमित शिक्षकों की उपलब्धता की न्यूनतम आवश्यकता का निर्धारण दीर्घकालीन संविदा/तदर्थ नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुए कुलपति द्वारा किया जा सकता है।

2.2.15 स्थायी संबद्धता के लिए, संस्थान को प्रति पाठ्यक्रम 10,00,000 रुपये की फ्लैट स्थायी संबद्धता फीस का भुगतान करना होगा। जब किसी संस्थान को स्थायी संबद्धता मिल जाती है, तो आगे कोई निरंतरता फीस नहीं होगा।

2.2.16 एक संबद्ध संस्थान स्थायी संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही स्वायत्त स्थिति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

2.2.17 इस अध्यादेश में उल्लिखित फीस जीएसटी के अलावा हैं और इसलिए समय-समय पर संशोधित जीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार लागू जीएसटी लगाया जाएगा।

अध्याय- III

परिसर की अवसंरचना

3.1 संस्थान के लिए भूमि की आवश्यकताएं परिशिष्ट- 3 में दी गई हैं।

3.2 संस्थान के लिए इंस्ट्रक्शनल एरिया (आईएनए), एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया (एडीए), एमेनिटीज एरिया (एएमए) और एक्सेस और सर्कुलेशन एरिया (एसीए) सहित बिल्ट-अप एरिया की जरूरतें परिशिष्ट- 4 में दी गई हैं।

3.3 संस्थान के लिए आवश्यक आवश्यकताएं परिशिष्ट- 5A में दी गई हैं। संस्थान के लिए वांछनीय आवश्यकताएं परिशिष्ट- 5B में दी गई हैं

3.4 संस्थान के लिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इंटरनेट सुविधाएं, पुस्तकालय पुस्तकें, जर्नल सहित अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं परिशिष्ट- 6 में दी गई हैं।

परिसर का स्थानांतरण : परिसर के स्थानांतरण के अनुरोध पर रु.50,000 की प्रोसेसिंग फी प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा। नए परिसर के लिए इन दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक होगा। इन दिशानिर्देशों का पालन करने वाले और शहर के भीतर जाने के इच्छुक मौजूदा संस्थान बिना किसी फीस का भुगतान किए भा.स.वि. से अनुमोदन प्राप्त करके नए परिसर में स्थानांतरित हो सकते हैं। हालांकि, इसके नए परिसर में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन जारी करने से पहले, इस उद्देश्य के लिए भा.स.वि. द्वारा गठित एक दल द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। एक बार भा.स.वि. के अनुमोदन से एक स्थान पर प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाने के बाद, कम से कम 03 वर्ष पूरे होने तक (जब तक कि अप्रत्याशित घटना द्वारा मजबूर न किया गया हो) परिसर के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय– IV

संकाय और प्रशिक्षक

4.1 संकाय संख्या: पाठ्यक्रमों के लिए संकाय की आवश्यकताएं और संवर्ग अनुपात परिशिष्ट -7 में दिया गया है।

4.2 संकाय की स्वीकृति: संबद्ध संस्थान के संकाय सदस्य अनुमोदन के लिए भा.स.वि. को आवेदन करेंगे। प्रत्येक संकाय सदस्य को प्रारंभिक रूप से उस पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए भा.स.वि. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जिसके लिए उसे पढ़ाने के लिए सक्षम माना जाता है। एक बार एक संकाय सदस्य के लिए अनुमोदन पत्र जारी हो जाने के बाद, वह किसी भी संस्थान में उस पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को पढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा/होगी। यदि कोई संकाय सदस्य किसी अन्य पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को पढ़ाना चाहता है, तो संकाय सदस्य को भा.स.वि. से अतिरिक्त अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि आकस्मिक बीमारी, मृत्यु, या मौजूदा संकाय सदस्य के इस्तीफे आदि जैसे आपात स्थिति में संकाय की नियुक्ति की जाती है, तो संस्थान को जल्द से जल्द भा.स.वि. से कार्योत्तर अनुमोदन लेना चाहिए। जब तक भा.स.वि. से अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक संकाय की नियुक्ति अस्थाई रूप से की जानी चाहिए। अस्थायी नियुक्ति किसी भी स्थिति में तीन महीने से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए और इसके अनुमोदन के लिए अनुरोध तुरंत भा.स.वि. को अग्रेषित किया जाना चाहिए। संकाय/प्राचार्य के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र के लिए अनुलग्नक-4 देखें।

4.3 अभ्यागत संकाय और अतिथि प्राध्यापक: विशिष्ट विषयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए और निर्देशात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, अभ्यागत संकाय सदस्यों का सहारा लिया जा सकता है। तथापि, किसी भी समय, संस्थान में न्यूनतम 50% स्थायी संकाय सदस्य होने चाहिए। संस्थान को पाठ्यक्रम से संबंधित अनुभव रखने वाले, उद्योग से प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा यथासंभव अधिक से अधिक अतिथि-व्याख्यान की व्यवस्था करनी चाहिए।

4.4 संकाय की योग्यता: संकाय की न्यूनतम योग्यता भा.स.वि. के संबंधित स्कूल में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार होगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्राचार्य की न्यूनतम योग्यता भा.स.वि. के किसी एक स्कूल में सह प्रोफेसर की भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करेगी। तथापि, संस्था को परिशिष्ट-7 के अनुसार संकाय संवर्ग अनुपात बनाए रखना चाहिए।

4.5 प्रशिक्षण और छुट्टी आरक्षण: संस्थानों को एफडीपी जैसे टीओटीए/वीआईसीटी, आदि के लिए संकाय प्रायोजित करने में सक्षम बनाने के लिए और उन्हें छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए, पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को छुट्टी आरक्षण के रूप में उपलब्ध होना चाहिए। विजिटिंग फैकल्टी सहित 10% से अधिक कर्मचारियों का होना वांछनीय है।

4.6 प्रशिक्षक: भा.स.वि. के भर्ती नियमों के अनुसार प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

अध्याय– V

पाठ्यक्रम सुविधाएं और फीस

5.1 पाठ्यक्रम संख्या: संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा प्रदान किए गए डीजीएस/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए बैच की संख्या और डिवीजनों की संख्या भा.स.वि. द्वारा संबद्धता/अनुमोदन प्रदान करने का आधार बनेगी। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए यह भा.स.वि. द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5.2 विघटित बैच (केवल डीजीएस पाठ्यक्रम के लिए): वर्षों के दौरान बैचों को अलग-अलग करने की अनुमति केवल डीएनएस (1-वर्षीय पाठ्यक्रम) के लिए दी जाएगी, अर्थात प्रत्येक वर्ष फरवरी और अगस्त में शुरू होने वाले वर्ष में 2 बैच।

5.3 प्रवेश मानक: भा.स.वि. के प्रवेश मानकों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें संबद्धता वापस लेना शामिल हो सकता है।

5.4 दस्तावेजों का सत्यापन: प्रवेश से पहले, प्रवेश मानकों को पूरा करने वाले आवेदक के समर्थन में सभी मूल दस्तावेजों की संस्थान के प्रमुख या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जाँच की जानी चाहिए। इस तरह की जाँच और इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सत्यापन की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख की होगी। संस्थान को कम से कम 3 (तीन) वर्षों के लिए संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सत्यापित फोटोकॉपी अपने पास रखनी चाहिए। चूंकि मूल को संस्थान द्वारा देखा जा रहा है, इसलिए फोटोकॉपी को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मूल की पुष्टि करने वाला व्यक्ति फोटोकॉपी पर अपने नाम और पदनाम के साथ, तिथि के साथ पृष्ठांकन कर सकता है।

5.5 विस्तृत शिक्षण पाठ्यक्रम: शिक्षण पाठ्यक्रम प्रत्येक श्रेणी के पाठ्यक्रमों के लिए भा.स.वि. द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि विस्तृत पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र/शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में छात्रों के ध्यान में लाया जाए और और इसी लिये रिकॉर्ड रखा जाए।

5.6. मूल मॉड्यूलर पाठ्यक्रम (केवल डीजीएस पाठ्यक्रमों के लिए लागू): संस्थान छात्रों को मूल मॉड्यूलर एसटीसीडब्ल्यू पाठ्यक्रमों पढ़ने की व्यवस्था करेगा। जहां इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने की सुविधा परिसर के भीतर मौजूद नहीं है, अन्य अनुमोदित संस्थान/संस्थानों के साथ औपचारिक समझौते की अनुमति है। हालांकि, सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी, जैसे परिवहन, बोर्डिंग, लॉजिंग, आदि, जबकि उम्मीदवार परिसर के बाहर इन मूल पाठ्यक्रमों को पढ़ते हैं, उस संस्थान की है जो पूर्व-समुद्री प्रशिक्षण आयोजित करता है।

5.7. पाठ्यक्रम तिथियां: एकरूपता बनाए रखने के लिए, पाठ्यक्रम शुरू होने की तिथि भा.स.वि. द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार होगी।

5.8. मूल्यांकन और निगरानी: पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थान में निरंतर मूल्यांकन और निरंतर सुधार के लिए प्रदर्शन प्रणाली होगी। छात्रों से विधिवत भरे गए फीडबैक फॉर्म को दो वर्ष की अवधि के लिए व्यवस्थित रूप से बनाए रखा जाना है। छात्रों को अपनी पहचान का खुलासा किए बिना अपनी लिखावट में प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5.9. छात्रों का आकलन: पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का आकलन विनियमों / पाठ्यक्रम में भा.स.वि. द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5.10. फीस: संस्थान छात्रों से फीस की उचित राशि ले सकता है। एक दिशानिर्देश के रूप में, भा.स.वि. द्वारा शैक्षणिक विवरणिका में उल्लिखित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ली जाने वाली फीस, आधार बना सकती है। हालांकि, जो फीस ली जा रही है, या फीस संरचना में बाद में किसी भी बदलाव के बारे में, भा.स.वि. को सूचित किया जाना चाहिए। संभावित कदाचार से बचने के लिए फीस को प्रॉस्पेक्टस और/या ब्रोशर में भी प्रिंट किया जाना चाहिए। प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रोस्पेक्टस और ब्रोशर की एक प्रति पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले रिकॉर्ड के लिए भा.स.वि. को भेजी जानी चाहिए।

5.11. फीस जमा करने की पद्धति: ऑनलाइन भुगतान।

अध्याय– VI

अनुशासनात्मक कार्यवाही

निरीक्षण दल (आईटी) की भूमिका

6.1 किसी भी संस्थान का निरीक्षण भा.स.वि. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित दल द्वारा किया जायेगा।

6.2 निम्नलिखित प्रकार के निरीक्षण हैं:

a. प्रारंभिक अनुमोदन के लिए दस्तावेज में दिए गए अनुसार अवसंरचना, संकाय आदि के सत्यापन के लिए निरीक्षण।

b. औचक निरीक्षण।

c. पाठ्यक्रमों के अनुमोदन को जारी रखने के लिए द्विवार्षिक निरीक्षण।

6.3 यदि निरीक्षण के दौरान आईटी को कोई कमी मिलती है, तो उसे तुरंत भा.स.वि. के ध्यान में लाना चाहिए। निरीक्षण रिपोर्ट में संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत पृष्ठांकित कमियों (यदि कोई हो) की सूची होनी चाहिए। भा.स.वि. एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की मांग करेगा। यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए है कि संस्थान अकादमिक शिक्षा और प्रशिक्षण में उच्च मानकों को बनाए रखें।

6.4 आम तौर पर, किसी भी चल रहे पाठ्यक्रम को तब तक समाप्त या निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उचित ठहराने के लिए मजबूत कारण न हों। अन्य सभी परिस्थितियों में, निरीक्षण के निष्कर्षों को प्रस्तावित कार्रवाई बताते हुए स्पष्ट सिफारिश के साथ भा.स.वि. को सूचित किया जाना चाहिए।

कमियों के प्रकार

कमियां दो प्रकार की हो सकती है:

प्रमुख कमियां

नियमों/दिशानिर्देशों को दरकिनार करने के उद्देश्य से भा.स.वि. के निर्देशों और दिशा-निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करना और किसी भी गैरकानूनी अभ्यास के पेशे को प्रमुख कमी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

प्रमुख कमियों के प्रकार:

a) **अवसंरचना:**

- बुनियादी न्यूनतम अवसंरचना, विशिष्ट प्रयोगशाला/कार्यशाला उपकरण आदि में गंभीर चूक।
- क्षति या खराबी के कारण आवश्यक अवसंरचना का गैर-कार्यरत होना।

b) **अनुशासन:**

- सामान्य अनुशासन का भंग।
- फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने, पाठ्यक्रम संचालित किए बिना प्रमाण पत्र जारी करने या उम्मीदवारों द्वारा हाजिरी या संकाय/कर्मचारी/संस्थान द्वारा जारी किए गए फर्जी प्रमाण पत्र की घटनाएं।
- पाठ्यक्रम दिशानिर्देशों का पालन न करने की घटनाएं।
- प्राचार्य/निदेशक, उप-प्राचार्य, संकाय, प्रशिक्षक और कैडेटों की उपस्थिति में अनियमितताएं।

c) **संकाय:**

- प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या।
- संकाय मानदंडों का उल्लंघन। संकाय/प्रशिक्षक जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं/संकाय चयन के अनुचित तौर-तरीके।

d) **गलत/अयोग्य रिपोर्टिंग**:

- अधिकारियों को गलत जानकारी प्रस्तुत करना।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करने/संबद्धता आवेदनों के दौरान जालसाजी का कोई भी कार्य।.

e) **सुरक्षा:**

- छात्र सुरक्षा के कारण चूक।
- कर्मचारियों की सामान्य सुरक्षा के कारण चूक।

f) **प्रशासनिक/शैक्षणिक चूक:**

- अनुमोदन से अधिक छात्रों की संख्या का नामांकन।
- अपात्र उम्मीदवारों को प्रवेश।
- फीस में अनियमितताएं।
- भूमि/परिसर के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख/छुट्टी और लाइसेंस समझौते की समाप्ति पर पाठ्यक्रमों का संचालन।
- उम्मीदवार के मूल दस्तावेज और मूल प्रमाण पत्र को रोकना।

g) छात्र प्रशिक्षण/अध्ययन संबंधी:

- प्रदान किए गए प्रेक्टिकल प्रशिक्षण के वीडियो रिकॉर्ड की अनुपलब्धता (पूर्व-समुद्र पाठ्यक्रमों के लिए)।

- शिक्षण समय में अनियमितता।

h) गुणवत्ता:

- गुणवत्ता प्रणाली से संबंधित गंभीर गैर-अनुरूपता, मामूली गैर-अनुरूपताओं की अत्यधिक संख्या।
- समय सीमा के भीतर गैर-अनुरूपता ठीक नहीं की गई।

निरीक्षण के दौरान ऐसी कमियों के पाए जाने की स्थिति में दिशानिर्देशों से कोई अन्य महत्वपूर्ण चूक, उन्हें तुरंत भा.स.वि. को सूचित किया जाना चाहिए।

छोटी कमियां

परिभाषाएँ:

छोटी कमियां वे हैं जब अनजाने में उल्लंघन / चूक के कारण उत्पन्न होने वाले डीजीएस/एआईसीटीई / भा.स.वि.-संबद्धता दिशानिर्देशों के मानक अभ्यास से छोटे विचलन होते हैं। छोटी कमियों को 15 दिनों के भीतर दूर किया जाना है।

कुछ छोटी कमियां नीचे दी गई हैं:

a) मूलभूत अवसंरचना का थोड़ा सा टूटना/खंडन।

b) प्रयोगशाला उपकरण, कार्यशाला उपकरण, आदि का थोड़ा सा टूटना/खंडन।

c) मशीनरी/कार्यशाला आदि का अचानक बंद पड़ जाना।

d) चोरी, आग आदि के कारण किसी पाठ्यचर्या में व्यवधान।

e) दैनिक दिनचर्या में अंतराल / देरी।

f) किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना के बाद उत्पन्न होने वाली कमी और जिसे 15 दिनों में संबोधित न की गई हो।

g) इस प्रकार की कोई अन्य कमी जो प्रमुख कमी में सूचीबद्ध नहीं है।

छोटी कमियां वे हैं जहां भा.स.वि./डीजीएस/एआईसीटीई के मानक अभ्यास और संचालन के मानदंडों से छोटे विचलन होते हैं जो निरीक्षण दल की राय में संस्थान/छात्र आउटपुट की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और जो बड़ी कमियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन छोटी-मोटी कमियों को 15 दिनों के भीतर दूर करना अपेक्षित है।

कमियों का सुधार और कार्रवाई

अपात्र प्रवेश की स्थिति में, संबंधित पाठ्यक्रम के बाद के बैच या अधिक बैचों को बिना किसी कारण बताओ नोटिस के निलंबित कर दिया जाएगा या संस्थान के प्रवेश को पिछले बैच में भर्ती किए गए अपात्र उम्मीदवारों की संख्या के दोगुने की सीमा तक कम किया जा सकता है और संस्थान द्वारा समान या अन्य पाठ्यक्रमों में पुनरावृत्ति के मामले में नए बैचों के प्रवेश के लिए अनुमोदन के निलंबन तक विस्तारित हो सकता है।

अनुमोदन/संबद्धता का विथड्रावल

विथड्रावल की श्रेणियां

किसी भी बड़ी कमियों का पता लगाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है या पाठ्यक्रम के अनुमोदन को वापस लिया जा सकता है। विथड्रावल या तो अस्थायी या स्थायी हो सकता है। स्थायी विथड्रावल पाठ्यक्रम या संस्थान के लिए हो सकती है। संस्थान के लिए स्थायी विथड्रावल सामान्य या तत्काल हो सकती है। इन श्रेणियों को नीचे समझाया गया है।

1. अनुमोदन/संबद्धता- पाठ्यक्रम का अस्थायी विथड्रावल:

अस्थायी विथड्रावल का अर्थ है कि जो बैच आयोजित किए जा रहे हैं, उन्हें चलाने की अनुमति दी जाएगी और पूरा किया जाएगा ताकि उक्त पाठ्यक्रम पढ़ रहे छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और नियत तारीख को पूरा होने पर किसी भी नए बैच को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि संस्थान ने पहले ही छात्रों को अगले पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया है, फीस आदि एकत्र की है, तो वह फीस वापस कर देगा और छात्रों को अनुमोदन के अस्थायी विथड्रावल के बारे में सूचित करेगा, और अगले पाठ्यक्रम का संचालन नहीं करेगा। यदि इस दिशानिर्देश का कोई उल्लंघन होता है, तो इसके स्वचालित परिणामस्वरूप भा.स.वि. द्वारा अनुमोदन को स्थायी रूप से वापस ले लिया जाएगा। निरीक्षण दल द्वारा इंगित कमियों के अनुपालन पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन पर, अस्थायी विथड्रावल

को रद्द किया जा सकता है और अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए बैच को अनुमोदन के रेस्टॉरेशन के समय पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं।

2. अनुमोदन/संबद्धता-- पाठ्यक्रम का स्थायी विथड्रावल: स्थायी विथड्रावल का अर्थ है वर्तमान बैच के उस विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद पाठ्यक्रम को स्थायी रूप से बंद करना। तत्पश्चात कोई बैच आयोजित नहीं किया जाएगा, और पाठ्यक्रम का अनुमोदन स्थायी रूप से वापस ले लिया जाएगा। यदि कमियां जिसके परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम का अनुमोदन स्थायी रूप से वापस ले लिया गया था, भा.स.वि. की संतुष्टि के लिए सुधारा गया है, तो पाठ्यक्रम के लिए एक बार फिर से आवेदन किया जाना चाहिए और गैर-वापसी योग्य प्रोसेसिंग फीस के भुगतान और आवश्यक निरीक्षण के बाद , अनुमोदन दिया जा सकता है लेकिन किसी भी मामले में उस पाठ्यक्रम के तीन बैचों के बराबर की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं दिया जाएगा।

3. संस्थान के अनुमोदन/संबद्धता का सामान्य स्थायी विथड्रावल: यदि, हालांकि, प्रमुख कमियों का प्रकार इस प्रकार है कि अनुमोदन का स्थायी विथड्रावल संस्थान पर ही लगाया जाता है, तो जैसे ही वर्तमान बैच अपना पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, संस्थान को बंद कर दिया जाएगा।

4. तत्काल स्थायी विथड्रावल/संस्था की स्वीकृति/संबद्धता को रद्द करना: असाधारण मामलों में जहां कमियां इतनी गंभीर हैं कि भा.स.वि. इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संस्थान से ही अनुमोदन वापस ले लिया जाना चाहिए, अर्थात संस्थान में सभी अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के वर्तमान बैचों के वर्तमान पाठ्यक्रम को पूरा करने की प्रतीक्षा किए बिना, ऐसी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जा सकती है। इसे संस्थान के अनुमोदन को रद्द करने के रूप में भी जाना जाएगा। तथापि, संस्थान द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि इस तरह के रद्दीकरण के बाद, इस तरह के तत्काल विथड्रावल से प्रतिकूल रूप से प्रभावित पात्र छात्रों को किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश मिले। रद्द करने का सहारा लिया जाएगा जहां गंभीर धोखाधड़ी, जिसमें अन्य में नकली रिकॉर्ड, उम्मीदवारों द्वारा उपस्थिति के बिना प्रमाण पत्र जारी करना आदि शामिल हो सकते हैं, और इसका पता लगाया जाता है। इस संबंध में भा.स.वि. का निर्णय अंतिम एवं संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा

विथड्रावल की प्रक्रिया

आम तौर पर, भा.स.वि. द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें विचार की गई विशिष्ट कमियों और विथड्रावल की श्रेणी का संकेत दिया जाएगा, और वह अवधि भी जिसके भीतर जवाब दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, संस्थान को किसी भी विथड्रावल/निरस्तीकरण पर अंतिम निर्णय से पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, तत्काल विथड्रावल की स्थिति में, सामान्य समय के साथ सामान्य कारण बताओ नोटिस जारी करना संभव नहीं होगा।

विथड्रावल के लिए सक्षम प्राधिकारी

जब तक किसी अन्य प्राधिकरण को विशेष रूप से प्रत्यायोजित नहीं किया जाता है, तब तक सभी अनुमोदन/विथड्रावल भा.स.वि. द्वारा जारी किए जाएंगे।

भा.स.वि. अनुमोदित/संबद्ध पाठ्यक्रमों को बंद करना/संस्था को बंद करना

पाठ्यक्रम/संस्थान को समाप्त करने/बंद करने के लिए संस्थानों के अनुरोधों पर भा.स.वि. द्वारा केवल गंभीर मामलों में ही विचार किया जा सकता है, और इस बात की पुष्टि होने पर कि संस्थान अब संस्थान/पाठ्यक्रम चलाने में सक्षम नहीं है। ऐसे मामलों में, संस्थान/सोसाइटी/ट्रस्ट को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भा.स.वि. को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, और बाद में बंद करने के समर्थन में अपना मामला प्रस्तुत करना होता है।

(a) संस्थान/पाठ्यक्रमों को बंद करने के कारण और औचित्य।

(b) संस्थान/पाठ्यक्रमों को बंद करने के संबंध में ट्रस्ट/संस्थान के बोर्ड संकल्प/निर्णय।

(c) तिथि के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले छात्र का वर्षवार विवरण।

अन्य संस्थान में उनके स्थानांतरण के लिए छात्रों की सहमति, अन्य भा.स.वि. अनुमोदित संस्थान में सीटों की उपलब्धता के विवरण सहित, यदि पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले संस्थान को बंद करना आवश्यक है।

(d) पिछले चार वर्षों के दौरान या भा.स.वि. द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए किए गए प्रवेशों का विवरण।

(e) संस्थान/पाठ्यक्रमों को बंद करने के लिए राज्य सरकार जैसे संबंधित अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो।

(f) संस्था के पास उपलब्ध परिसम्पत्तियों की जानकारी।

(g) संस्थान/पाठ्यक्रमों के बंद होने से उत्पन्न होने वाली देय राशि और देयताओं का विवरण।

(h) संस्थान में कार्यरत मौजूदा संकाय और अन्य कर्मचारियों का विवरण।

(i) संस्था द्वारा गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर वचनपत्र जो उल्लेख करता है कि संस्थान/पाठ्यक्रम के बंद होने से उत्पन्न होने वाले, छात्रों और अन्य एजेंसियों के सभी बकाया के निपटान सहित सभी परिणामों के लिए सोसाइटी/ट्रस्ट/संस्थान उत्तरदायी है। यदि पाठ्यक्रम के पूरा होने से पहले बंद हो जाता है, तो संस्थान पूरे शैक्षणिक वर्ष (वर्षों) के लिए छात्रों से एकत्र पाठ्यक्रम की फीस वापस करने के लिए उत्तरदायी है।

(j) संस्थान/पाठ्यक्रमों को बंद करने की व्यवहार्यता का पता लगाने और इस तरह के बंद होने से उत्पन्न होने वाली देयताओं का आकलन करने के लिए भा.स.वि. संस्थान का दौरा कर सकता है।

(k) निरीक्षण दल की सिफारिशों की प्राप्ति पर भा.स.वि. द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

स्वीकृत/संबद्ध संस्थानों की स्वत: अस्वीकृति/असंबद्धता, जिन्होंने दिए गए वर्षों में एक भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया है

यदि कोई संबद्ध/अनुमोदित संस्थान एक भी छात्र को अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में लगातार तीन वर्ष (या 4 वर्ष की अवधि वाले कार्यक्रमों के संबंध में लगातार चार वर्ष) के लिए प्रवेश देने में विफल रहता है, तो संबंधित कार्यक्रम के लिए भा.स.वि. की संबद्धता/अनुमोदन 3-वर्ष की अवधि (या 4 वर्ष की अवधि जैसा भी मामला हो) के अंत में स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह आवश्यक है क्योंकि संकाय को सामान्य रूप से नहीं रखा जाएगा / उपयोग नहीं किया जाएगा और इस अवधि के दौरान भवन और उपकरण खराब हो गए होंगे। संस्थान से प्राप्त अनुरोध पर संबद्धता को पूर्वरूप में लाया जा सकता है, लेकिन इसे एक नया आवेदन माना जाएगा और प्रारंभिक संबद्धता/अनुमोदन फीस और अन्य सभी लागु फीस सहित नई संबद्धता प्रदान करने के लिए निर्धारित सभी प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप होना होगा, और उचित निरीक्षण के बाद होगा।

के. सरवनन, कुलसचिव

[विज्ञापन-III असं./131/2022-23]

अनुलग्नक -I

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

(एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)

भाग - ए - बुनियादी जानकारी

1	**कॉलेज / संस्थान**	
	a) नाम और पता	
	b) टेलिफोन और फैक्स नंबर	
	c) ई-मेल और वेबसाइट एड्रेस	
	d) स्थापना का वर्ष	
2	**संस्थान का प्रमुख: (निदेशक/डीन/प्राचार्य)**	
	a) नाम	
	b) पदनाम	
	c) ई-मेल, टेलिफोन, फैक्स और सेल नंबर	
	d) टेलिफोन नंबर के साथ आवासीय पता	
3	**संचार के लिए कानूनी रूप से अधिकृत प्रतिनिधि** (प्राधिकरण पत्र संलग्न किया जाए)	
4	**ट्रस्ट:**	
	a) ट्रस्ट / सोसायटी का नाम और पता	
	b) पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तिथि	

	c) पारिवारिक/सार्वजनिक ट्रस्ट	
	d) अध्यक्ष का नाम और पता	
	e) ट्रस्ट के सचिव	
	f) ई-मेल, टेलिफोन, फैक्स और सेल नंबर	
	g) टेलिफोन नंबर के साथ आवासीय पता	
5	कॉलेज प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त अनुमति पत्र-पत्र संख्या और तिथि (प्रति संलग्न करें)	
6	गठित शासी निकाय के सदस्यों का नाम और पता	
7	a. क्या अनुशासन और कल्याण समिति कार्य कर रही है?	हाँ/ नहीं
	b. क्या मानदंड के अनुसार रजिस्टर और रिकॉर्ड उपलब्ध हैं/बनाए रखे हैं।	हाँ/ नहीं
8	वित्तीय स्थिरता	
	ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति संक्षेप में निम्नलिखित विवरण के साथ एक अलग शीट में दी जानी चाहिए ।	
	a) बैंकर:	
	शाखाएँ:	
	अकाउंट नंबर (नंबर्स):	
	बैलेंस राशि (रु.):	
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	
	आज की तिथि अनुसार	
	b) एफडीआर विवरण (बैंक / सरकार / सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान।)	
	शाखा:	
	निवेश की राशि:	
	मेच्योरिटी की तिथि:	
	c) अचल संपत्तियों का मूल्य (गाइड लाइन मूल्य और बाजार मूल्य)। भूमि की सर्वेक्षण संख्या, भूमि की सीमा, स्थान और भवनों का विवरण प्रदान करें: (प्रमाणित प्रतियों को अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है)।	
	d) क्या अक्षयनिधि सृजित की गई है, विवरण प्रदान करें:	
	e) आयकर स्थायी खाता संख्या।	
	f) 3 वर्ष के लिए चार्टड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित लाभ और हानि खाता / बैलेंस शीट	
9	कॉलेज के लिए निर्धारित भूमि का विवरण:	

क्रमांक	दस्तावेज सं.	पंजीकरण की तिथि	सर्वेक्षण संख्या	विस्तार (एकड़)
			कुल	

नोट: अध्ययन के लिए भूमि की सीमा विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए।

10	भवन: ब्लॉक वार - (मौजूदा और प्रस्तावित भवनों के लिए अलग-अलग संलग्न प्रस्तुत करें)				
क्रमांक	आकार का विवरण	लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई (एम x एम x एम)	संख्या	छत का प्रकार	फर्नीचर / सुविधाओं का विवरण
a)	क्लास रूम				
b)	ड्राइंग हॉल				
c)	कार्यशाला				
d)	प्रयोगशाला				
e)	स्टोर				
f)	प्रशासनिक कार्यालय				
g)	प्राचार्य का रूम				
h)	अध्यक्ष/सचिव का रूम				
i)	एचओडी का रूम				
j)	शैक्षिक कर्मचारी रूम				
k)	पुस्तकालय				
	i) रीडिंग हॉल				
	ii) रेफरेन्स विभाग				
	iii) स्टैक रूम				
	कुल				
	शिक्षण सहायक सामग्री (ओएचपी, व्हाइट बोर्ड, कंप्यूटर, आदि)				
l)	शारीरिक शिक्षा				
m)	एनसीसी/एनएसएस/एनएसओ/वाईआरसी				
n)	सेमिनार हॉल				
o)	स्वास्थ्य केंद्र				
p)	बैंक				
q)	सहकारी स्टोर				
r)	कैंटीन				
s)	वाहन पार्किंग				
t)	लड़कियों के लिए लंच और रेस्ट रूम				
u)	शौचालय				
	लड़के				
	लड़कियाँ				
v)	सभागार				

11	होस्टल : (ब्लॉकों की संख्या)		
	a) पुरुषों / महिलाओं के लिए		
	b) होस्टल का स्थान		
	c) स्टाफ - रेजिडेंट वार्डन*	संख्या	
	d) कॉमन रूम		
	e) रीडिंग रूम		
	f) मनोरंजन रूम		
	रूम	संख्या	समायोजित छात्रों की संख्या
	g) मौजूदा और प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए होस्टल में उपलब्ध रूम की संख्या।		
	i] एकल (क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)		
	ii) दुगुना (वर्ग मीटर में क्षेत्र)		
	iii) तिगुना (वर्ग मीटर में क्षेत्र)		
	iv) चौगुना / छात्रावास (वर्ग मीटर में क्षेत्र)		
	कुल		
	h) कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)		
12	शारीरक शिक्षा:		
	a) शारीरिक निदेशक का नाम		
	b) योग्यता और अनुभव		
	c) उपस्थित लोगों / मार्करों की संख्या		
	d) खेल के मैदान का कुल क्षेत्रफल		
	e) उपलब्ध आउटडोर खेलों का विवरण		
	f) उपलब्ध इनडोर खेलों का विवरण		
	g) उपलब्ध जिमख़ाना का विवरण		
	h) शारीरिक शिक्षा के लिए आवंटित फंड		
	i) उपलब्ध स्पोर्ट्स/खेल मदों का विवरण और उनकी लागत		
		संख्या/संबंधित विवरण	तिथि
13	स्वीकृत ब्लू प्रिंट के साथ परिसर का लेआउट (ब्लू प्रिंट की प्रति संलग्न करें)		
14	संस्थान की व्यवसाय योजना और परियोजना (संलग्न करें)		
15	फंड के स्रोत (इक्विटी और ऋण दोनों)। a. प्रारंभिक पूंजी व्यय b. आवर्ती पूंजी व्यय		

	c. वर्तमान फंड स्थिति (विवरण संलग्न किया जाना है)		
16	ट्रस्ट/कंपनी द्वारा चलाए जा रहे या चलाए जाने के लिए प्रस्तावित संबद्धता के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों का विवरण, जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ गठजोड़/संबद्धता शामिल है।		
17	एआईसीटीई की मंजूरी का विवरण		
18	डीजीएस अनुमोदन और आईएनडीओएस संख्या का विवरण		
19	अन्य अनुमोदन का विवरण, यदि कोई हो। (यदि क्रमांक 17, 18 और 19 में कोई अनुमोदन/संबद्धता नहीं है तो शून्य लिखा जाना चाहिए)		
20	शिकायत निवारण तंत्र का विवरण	समिति के सदस्यों के नाम	गठन की तिथि
21	आईसीसी समिति का विवरण	समिति के सदस्यों के नाम	गठन की तिथि
22	रैगिंग विरोधी समिति का विवरण	समिति के सदस्यों का नाम	गठन की तिथि
23	आईएसओ प्रमाणन का विवरण	प्रमाणपत्र संख्या	जारी करने की तिथि
24	पंजीकृत गैर-लाभकारी सार्वजनिक ट्रस्ट/धारा 25 कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव का विवरण जिसमें उल्लेख किया गया है कि वे नाम इंगित करते हुए प्रशिक्षण संस्थान शुरू करना चाहते हैं। अनुप्रमाणित संकल्प संलग्न किया जाना है।		
25	परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट जिसमें मिशन, विजन, पृष्ठभूमि, उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, गुणवत्ता, संकाय भर्ती के लिए मानव संसाधन विकास नीति, पाठ्यक्रम शुरू करने के औचित्य का विवरण हो।		
26	शिपिंग कंपनियों के साथ संभावित छात्रों को ऑन बोर्ड प्रशिक्षण के लिए समुद्री समय टाई-अप के संबंध में विवरण (केवल डीजीएस अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए)		

* वार्डन की योग्यता भा.स.वि. के होस्टल वार्डन के लिए निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार होगी।

भाग - बी - कार्यक्रम का विवरण

27. (a) अस्थायी संबद्धता के लिए लागू कार्यक्रम (कार्यक्रमों) का विवरण:

(कृपया लागू पंक्तियों को भरें, लागू नहीं पंक्तियों को एनए (लागू नहीं) के रूप में भरा जा सकता है)

क्रमांक	डिग्री (यूजी / पीजी)	कार्यक्रम	स्वीकृत/प्रस्तावित शक्ति	एनओसी राज्य सरकार / विश्वविद्यालय (हाँ/ना)	एआईसीटीई/डीजीएस आदि अनुमोदन/मान्यता संख्या तिथि के साथ (प्रति संलग्न करें), यदि लागू हो	टिप्पणी

27. (b) अतिरिक्त कार्यक्रम जिसके लिए अस्थायी संबद्धता मांगी गई है:

क्रमांक	डिग्री (यूजी / पीजी)	कार्यक्रम	स्वीकृत/प्रस्तावित शक्ति	एनओसी राज्य सरकार / विश्वविद्यालय (हाँ/ना)	एआईसीटीई/डीजीएस आदि अनुमोदन/मान्यता संख्या तिथि के साथ (प्रति संलग्न करें), यदि लागू हो	टिप्पणी

27. (c) मौजूदा कार्यक्रम (कार्यक्रमों) में प्रवेश में परिवर्तन जिसके लिए अस्थायी संबद्धता की मांग की गई है।

क्रमांक	डिग्री (यूजी / पीजी)	कार्यक्रम	स्वीकृत/प्रस्तावित संख्या		एनओसी राज्य सरकार / विश्वविद्यालय (हाँ/ना)	एआईसीटीई/डीजीएस आदि अनुमोदन/मान्यता संख्या तिथि के साथ (प्रति संलग्न करें), यदि लागू हो
			स्वीकृत संख्या	प्रस्तावित संख्या (मौजूदा + अतिरिक्त)		

27. (d). मौजूदा अस्थायी रूप से संबद्ध कार्यक्रम का विवरण जिसके लिए अस्थायी संबद्धता जारी रखने की मांग की गई है (पहले बैच के उत्तीर्ण होने तक वार्षिक निरंतरता सहित)

क्रमांक	विभाग	डिग्री (यूजी / पीजी)	कार्यक्रम	पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए स्वीकृत संख्या (प्रति संलग्न करें)	पिछले शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या (एक प्रति संलग्न करें)	पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए एआईसीटीई / डीजीएस आदि अनुमोदन संख्या और तिथि (प्रति संलग्न करें)	पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय संबद्धता संख्या और तिथि (प्रति संलग्न करें)	प्रस्तावित कार्यक्रम में ब्रेक के साथ शैक्षणिक वर्ष (यदि कोई हो)	परिचय का वर्ष

डीजीएस/एआईसीटीई आदि अनुमोदन (जैसा लागू हो) की प्रतियां जमा करें।

i) कार्यक्रम का विवरण						
क्रमांक	डिग्री (यूजी / पीजी)	कार्यक्रम	स्वीकृत संख्या	पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष के लिए रोल पर छात्र	शुरू करने की तिथि	संबद्धता स्थिति (स्थायी/अस्थायी)

27. (e). वर्तमान में संचालित कार्यक्रम:

ii) क्या उपरोक्त में से किसी कार्यक्रम में कोई ब्रेक था? यदि हाँ, तो विवरण दें।

iii) क्या संस्थान ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निरीक्षण समितियों की सभी शर्तों को पूरा किया है?

iv) क्या इसी प्रभाव की अनुपालन रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजी गई है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो विस्तृत स्पष्टीकरण दें?

27. (f) नया डिग्री कार्यक्रम शुरू करने पर, दी जानेवाली अतिरिक्त जानकारी।

(i) पाठ्यक्रम शुरू करने का हेतु: (a) समिति की सिफारिश के आधार पर; (b) कौशल मांग पर नौकरी बाजार सर्वेक्षण के आधार पर; (c) संस्थान के **मूल** विज़न में शामिल ii) पाठ्यक्रम चलाने की योजना (आवश्यक संकाय की भर्ती के लिए विस्तृत समयबद्ध योजना, प्रयोगशाला की तैयारी, और अन्य अवसंरचना को शामिल करें)	
(iii) क्या सरकार से एनओसी प्राप्त कर ली गई है? (a) यदि हाँ, तो आदेश की तिथि और संदर्भ पत्र दें और संबंधित आदेश की एक प्रति संलग्न करें।	

(b) यदि नहीं, तो आवेदन की तिथि? (संलग्न करें - सरकार को आवेदन पत्र।) (c) यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आप इसके लिए कब आवेदन करेंगे ? (d) आपके अनुसार आप कब अनुमोदन प्राप्त करेंगे? यदि हाँ, तो इस आशावाद के कारण।	
(iv) क्या संबंधित सांविधिक निकाय से अनुमति/अनुमोदन/मान्यता प्राप्त की गई है? **a)** यदि हाँ, तो आदेश की तिथि और संदर्भ पत्र दें और संबंधित आदेश की एक प्रति संलग्न करें। **पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मान्यता/अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस निकाय को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ (दस्तावेजों) की एक प्रति भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को आपके संबद्धता आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।** **b)** यदि नहीं, तो आपने इसके लिए कब आवेदन किया था? **संबंधित वैधानिक निकाय को अपने पत्र की एक प्रति और ऊपर पूछे गए अनुसार इस निकाय को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) को संलग्न करें।** **c)** यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आप कब तक आवेदन करेंगे? **जब भी आप आवेदन करते हैं तो आपको इस निकाय को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की एक प्रति भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय को भी जमा करनी होगी।** d) आप अनुमोदन कब प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं? आशावाद का कारण।	
(v) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के किस स्कूल के तहत पाठ्यक्रम चलाया जाएगा और क्या प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में एक अध्ययन समिति है? a) यदि नहीं, तो क्या प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन समिति के गठन की आवश्यकता है? b) क्या आपने पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन समिति के गठन के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों की सूची तैयार की है? c) यदि हाँ, तो कृपया विशेषज्ञों की सूची उनके वर्तमान पेशेवर पते और टेलिफोन नंबर के साथ संलग्न करें (कम से कम 10 विशेषज्ञों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए) जब समिति का गठन होगा, तो क्या संस्था अध्ययन समिति के गठन और अध्ययन समिति की बैठकों के संचालन और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए खर्च वहन करेगी?	
(vi) क्या कॉलेज ने नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए सेमेस्टर-वार पाठ्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया है? यदि हाँ, तो उसकी एक प्रति संलग्न करें। a) यदि नहीं, तो पाठ्यक्रम कब तक तैयार किया जाएगा? निश्चित तिथियां दें। जैसे ही इसे तैयार किया जाता है, एक प्रति तुरंत भा.स.वि. को भेजी जानी चाहिए। b) जहां प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है, वहां प्रयोगशाला प्रयोगों का विवरण संलग्न किया जाना है। प्रत्येक पाठ्यक्रम/प्रयोगशाला के लिए सुझाई गई पाठ्यपुस्तकों, पूरक पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों की एक सूची सूचीबद्ध करें।	
(vii) प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए आधारभूत संरचना, क्लास रूम, होस्टल सुविधाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला उपकरण, रसायन आदि स्थापित करने के लिए प्रारंभिक व्यय के लिए आवंटित कुल राशि।	

28(a) निदेशक / डीन / प्राचार्य का विवरण									
शैक्षिक योग्यता					शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार जन्म तिथि और आयु	वर्तमान पद में जुड़ने की तिथि	उद्योग में वर्षों के अनुभव की संख्या	कुल अनुभव	कुल वेतन (मूल वेतन + भत्ता)
डिग्री	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्त अंकों का %	विश्वविद्यालय	विशेषज्ञता					
यूजी									
पीजी									
अतिरिक्त									

क्या निदेशक / डीन / प्राचार्य आईएमयू/ एआईसीटीई / डीजीएस मानदंडों के अनुसार योग्य हैं

28(b) शैक्षिक कर्मचारियों का विवरण (विभागवार)												
शिक्षकों के नाम (विभाग वार)	पदनाम नियमित/ विजिटिंग	योग्यता	% अंक	विशेषज्ञता (डिग्री वार)	अनुभव		जन्म तिथि	वर्तमान पद में जुड़ने की तिथि	वेतनमान	कुल	कर्मचारियों के हस्ताक्षर	योग्यता का विश्वविद्यालय अनुमोदन (संख्या और तिथि)
					शिक्षण / अनुसंधान	उद्योग / अन्य						

क्या शिक्षण कर्मचारी आईएमयू/यूजीसी/एआईसीटीई/डीजीएस मानदंडों के अनुसार योग्य हैं

28 (c). प्रस्तावित पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए शिक्षकों पर अतिरिक्त जानकारी

i. क्या आपके कॉलेज/संस्थान में पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए आपके वेतन सूची में पहले से ही योग्य शिक्षक उपलब्ध हैं?

ii. विश्वविद्यालय की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम के लिए योग्य शिक्षकों को विशेष रूप से कॉलेज / संस्थान द्वारा और उसके लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।

iii. यदि कोई नया पद सृजित/स्वीकृत करने का प्रस्ताव नहीं है, तो कृपया नए पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के शिक्षण कार्य के लिए की गई अस्थायी व्यवस्था को विस्तृत करें।

iv. यदि नहीं, तो इस पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से कितने शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और भर्ती का तरीका क्या होगा?

v. कृपया वर्ष, पदनाम, न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम अनुभव (स्थायी/अस्थायी/एड-हॉक) वेतनमान और वर्षवार वेतन का उल्लेख करते हुए विवरण दें।

vi. इन पदों को भरने के लिए पहले से ही लिए गए / उठाए जाने वाले कदम।

vii. यदि शिक्षक उपलब्ध हैं, तो उनकी जानकारी उसी प्रारूप में दें जैसे कि 28 (b) में है।

viii. यदि मौजूदा कर्मचारियों के साथ काम करना प्रस्तावित है, तो मौजूदा पाठ्यक्रमों और नए पाठ्यक्रमों के लिए अलग से समय-सारणी के साथ अतिरिक्त कार्य कैसे किया जाएगा, इस पर स्पष्टीकरण दें।

ix. मौजूदा शिक्षण कर्मचारियों के लिए निर्धारित और पालन किया जाने वाला कार्य भार

(A) प्राचार्य सहित प्रोफेसर B) सह-प्रोफेसर और C) सहायक प्रोफेसर

x. विभाग में पदस्थ कर्मचारियों का विस्तृत बायोडाटा जहां प्रस्तावित नए पाठ्यक्रम उनकी विशेषज्ञता के साथ शुरू किए जाने हैं।

xi. प्रस्तावित अतिरिक्त सहायक एवं अन्य गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का विवरण।

29. प्रयोगशालाएं और उपकरण:

29(a). उपकरण की सूची						
क्रमांक	विभाग	डिग्री	कार्यक्रम का नाम	प्रयोगशाला का नाम	उपकरण का नाम	मात्रा (सं.)

29(b). नए कार्यक्रम के लिए खरीदे जाने वाले उपकरणों की सूची						
क्रमांक	विभाग	डिग्री	कार्यक्रम का नाम	प्रयोगशाला का नाम	उपकरण का नाम	मात्रा (सं.)

30. नए कार्यक्रम के लिए लेक्चर रूम:

इस पाठ्यक्रम के लिए कितने अतिरिक्त लेक्चर क्लास रूम और प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है? (फर्श की जगह और आवश्यक फर्नीचर। वह आधार दें जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है।) प्रथम वर्ष: द्वितीय वर्ष: तीसरा वर्ष: चौथा वर्ष: क्या ये क्लास रूम पहले से उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो एक भवन योजना दें और इस पाठ्यक्रम के लिए आवंटित किए जाने वाले रूम को इंगित करें: यदि नहीं, तो आवश्यक फर्नीचर के साथ अतिरिक्त मंजिल की जगह कब बनाई जाएगी? आवंटित या आवंटित की जाने वाली राशि के साथ एक भवन योजना के साथ-साथ उसके पूरा होने के लिए एक समयबद्ध परियोजना योजना भी दें। यदि आपने पहले से ही इस पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त अवसंरचना नहीं बनाया है, तो आपको इस नए पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय से अनुमति क्यों लेनी चाहिए?	

31. पुस्तकालय सुविधा

i) लाइब्रेरियन का नाम ii) लाइब्रेरियन की योग्यता और अनुभव* iii) पुस्तकालय में अन्य कर्मचारियों के नाम और पदनाम*	

iv) क्या पुस्तकालय में कोई विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो विवरण दें (जैसे फोटो कॉपी करना, इंटरनेट कनेक्शन आदि) v) क्या पुस्तकालय को स्वचालित कर दिया गया है? छात्र द्वारा पुस्तकें उधार लेने की प्रणाली: कैटलॉगिंग प्रणाली का पालन किया जा रहा है: फोटोकॉपी की सुविधा उपलब्ध है: पुस्तकालय का समय: पुस्तकालय के लिए छुट्टी: क्या परिशिष्ट-6 में सुझाई गई पुस्तकों की संख्या पुस्तकालय द्वारा पहले ही प्राप्त कर ली गई है? यदि नहीं, तो इन्हें कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा? निश्चित तिथियां दें। क्या पुस्तकालय इस पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य पुस्तकों की एकाधिक प्रतियों का आदेश देगा? यदि हाँ, तो आवश्यक छात्र संख्या के लिए प्रत्येक पाठ के लिए कितनी एकाधिक प्रतियों का आदेश दिया जाएगा? नए पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से अधिग्रहित करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त पुस्तकों की संख्या: पाठ्यक्रम के लिए सदस्यता लेने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त जर्नल्स की संख्या: (जर्नल्स/पत्रिकाओं की विस्तृत सूची दें)	

* लाइब्रेरियन/पुस्तकालय सहायक की योग्यता भा.स.वि. के लाइबेरियन/पुस्तकालय सहायक के लिए निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार होगी।

32. छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं

क्रमांक		लड़के	लड़कियां
1.	कॉमन रूम		
2.	मनोरंजन रूम		
3.	सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं		
4.	एन.सी.सी/एन.एस.एस/वाई.आर.सी		
5.	चिकित्सा सेवा देखभाल(योग्यता और विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों का नाम/ अंशकालिक/पूर्णकालिक डॉक्टरों का पता और संपर्क विवरण)		
6.	प्लेसमेंट और प्रशिक्षण सेल		
7.	ऑडियो-वीडियो शैक्षिक सुविधाएं और शिक्षण सहायक सामग्री		
8.	छात्रों के लिए समिति/क्लबों के नाम		
9.	छात्र समिति		
10.	वर्ड प्रोसेसिंग और फोटोकॉपी सुविधाएं		

33. गैर-शिक्षण कर्मचारी विवरण:

a) तकनीकी कर्मचारियों का विवरण (प्रयोगशालावार)*

नाम	पद	शैक्षणिक योग्यता	जन्म तिथि	जुड़ने की तिथि	कुल मेहनताना	कर्मचारियों के हस्ताक्षर
b) दफ्तरी स्टाफ का विवरण						

* तकनीकी कर्मचारी (प्रयोगशाला तकनीशियन / सहायक) की योग्यता भा.स.वि. के तकनीकी कर्मचारियों के लिए निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार होगी।

34. आवश्यक अतिरिक्त जानकारी:

• पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी के लिए प्रस्तावित प्रक्रियाएं (विवरण दें) • क्या आपके पास छात्रों के लिए आरक्षण है: एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: • क्या आप शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को विशेष सहायता देंगे? यदि हाँ, तो वर्णन करें कि आप क्या करने का प्रस्ताव करते हैं? • इस कॉलेज के छात्रों के लिए अब उपलब्ध छात्रवृत्ति, मुफ्त ट्यूशन, फेलोशिप और अन्य वित्तीय सहायता प्रणाली का विवरण? • यदि हाँ, तो इसे नए पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए भी बढ़ाया जाएगा? • शैक्षणिक रूप से सक्षम लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? • क्या योग्य होने पर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा? • क्या ऐसे छात्रों के लिए कोई वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा उपलब्ध है? • यदि हाँ, तो योजना का विस्तार से वर्णन करें। • यदि नहीं, तो क्या आप नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लाभ के लिए ऐसी कोई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं? • यदि कॉलेज द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए आंतरिक मूल्यांकन की प्रणाली समाप्त हो जाती है, तो कॉलेज/संस्थान छात्रों के "आंतरिक' मूल्यांकन में किस प्रकार की पारदर्शिता का अभ्यास कर रहे हैं? ○ क्या इस नए पाठ्यक्रम में भी यही प्रणाली लागू होगी? यदि नहीं, तो नई प्रणाली का विवरण दें। • क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्रों ने कभी किसी कारण से आंदोलन किया? यदि हाँ, तो कारण बताएं। ○ समस्याओं का कैसे समाधान/सुलझाया गया? • क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने कभी किसी कारण से आंदोलन किया? यदि हाँ, तो कारण बताएं। • समस्याओं का कैसे समाधान/सुलझाया गया? • क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षकों ने कभी किसी कारण से आंदोलन किया? यदि हाँ, तो कारण बताएं। ○ समस्याओं का कैसे समाधान/सुलझाया गया? • पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क, फंड, दान आदि का मदवार विवरण दें। (संख्याएँ इंगित करें और "सरकार/विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार" आदि न लिखें) • प्रवेशित छात्रों के लिए शुल्क: • पिछले तीन वर्षों के अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति संलग्न करें: • चालू वर्ष के लिए अपने बजट की प्रति संलग्न करें	

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी नीचे दी गई तिथि के अनुसार तथ्यात्मक है। प्रत्येक पृष्ठ पर कॉलेज /संस्थान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा आद्याक्षर किया गया है। ऊपर दी गई जानकारी में बाद में किए गए किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत विश्वविद्यालय को दी जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार निरीक्षण के लिए आवश्यक शुल्क और किसी भी अन्य खर्च या इससे संबंधित और विश्वविद्यालय द्वारा मांगे गए किसी भी अन्य खर्च का भुगतान कॉलेज द्वारा तुरंत किया जाएगा।

स्थान और तिथि: कानूनी रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(बड़े अक्षरों में नाम)

कार्यालय की मुहर

भाग-सी

35. निरीक्षण समिति के सदस्यों को निरीक्षण के समय सत्यापन के लिए निम्नलिखित की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं (प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए)

क्रमांक	प्रमाणपत्र
1.	गांव के मैदान का नक्शा /क्षेत्र मापन पुस्तक स्केच
2.	कॉलेज स्थल का नक्शा/योजना – सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित
3.	30 से अधिक वर्षों के निर्माण के लिए मौजूदा भवन योजना
4.	भवन के स्केच की प्रति (सभी मंजिलों के लिए रूम, प्रयोगशालाओं, स्टोर, पुस्तकालय, आदि का विवरण)
5.	सक्षम शासकीय प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रस्तावित भवन योजना। अपरिवर्तनीय ट्रस्ट पंजीकरण विलेख (या) सोसायटी का पंजीकृत विलेख
6.	कॉलेज के लिए निर्धारित भूमि के स्वामित्व के लिए दस्तावेजी प्रमाण
7.	भूमि के स्वामित्व और कवरेज की सीमा पर सरकारी वकील की कानूनी राय।
8.	एक उपयुक्त प्राधिकारी से भूमि उपयोग प्रमाण पत्र साथ ही टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग से भूमि परिवर्तन प्रमाण पत्र
9.	राजस्व प्राधिकरण से प्रमाण पत्र कि कॉलेज के लिए भूमि भूमि सीमा कानून के तहत नहीं आती है
10.	कॉलेज शुरू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति
11.	पाठ्यक्रम के लिए डीजीएस/एआईसीटीई आदि का अनुमोदन
12.	कॉलेज की वित्तीय व्यवहार्यता दिखाने वाले दस्तावेज [वित्तीय बजट राजस्व और व्यय विवरण (वर्तमान वर्ष) का विवरण नवीनतम आयकर रिटर्न प्रति के साथ
13.	शासी निकाय की संरचना।
14.	क्लास रूम व्यवस्था के साथ सभी पाठ्यक्रमों और सभी वर्गों के लिए मास्टर टाइम टेबल
15.	पिछले तीन वर्षों के कॉलेज के लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण।
16.	सरकारी प्राधिकरण से अग्नि सुरक्षा के लिए प्रमाण पत्र,
17.	विद्युत स्थापना के लिए सरकार द्वारा अधिकृत लाइसेंस धारक से प्रमाण पत्र
18.	सरकारी स्वास्थ्य निरीक्षक से प्रमाण पत्र।
19.	भवन की संरचनात्मक स्थिरता के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता या सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति से प्रमाण पत्र
20.	भवन और उपकरण बीमा प्रमाणपत्र
21.	शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारियों के अनुभव और शैक्षिक योग्यता की प्रतियां
22.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि वर्गीकरण/रूपांतरण/उपयोग प्रमाण पत्र।
23.	विद्युत भार स्वीकृति प्रमाण पत्र एवं वैकल्पिक विद्युत स्रोत की उपलब्धता।
24.	कोई ऋणभार न होने का प्रमाण पत्र ।

25.	बारहमासी उप-सड़क, सीवेज डिस्पोजल सुविधा और बाधा मुक्त वातावरण की उपलब्धता पर आर्किटेक्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
26.	प्रमाण पत्र कि परिसर से कोई हाईटेंशन तार नहीं गुजर रहा है।

भाग-डी

भूमि क्षेत्र की आवश्यकताएं (एकड़ में): (परिशिष्ट 3 के अनुसार भरा जाना है)

क्रमांक	कार्यक्रम	डिप्लोमा कार्यक्रम			स्नातक कार्यक्रम			केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले संस्थान (स्नातकोत्तर डिप्लोमा/एमबीए/एम.टेक)		
		मेगा और मेट्रो	शहरी	ग्रामीण	मेगा और मेट्रो	शहरी	ग्रामीण	मेगा और मेट्रो	शहरी	ग्रामीण

निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताएँ

विवरण	**उपलब्ध रूम की संख्या**	**प्रति कमरा वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र**
क्लास रूम		
ट्यूटोरियल रूम		
प्रथम वर्ष के लिए प्रयोगशाला		
प्रथम वर्ष के अलावा अन्य प्रयोगशाला		
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला		
कार्यशाला		
ड्राइंग हॉल		
कंप्यूटर केंद्र		
सेमिनार हॉल		
पुस्तकालय		
भाषा प्रयोगशाला		

i. इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के लिए: *(परिशिष्ट -4 के अनुसार भरा जाना है*

ii. प्रबंधन/कानून/मानविकी के लिए *(परिशिष्ट -4 के अनुसार भरा जाना है)*

विवरण	**उपलब्ध रूम की संख्या**	**प्रति कमरा वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र**
क्लास रूम		
ट्यूटोरियल रूम		
कंप्यूटर केंद्र		
सेमिनार हॉल		
पुस्तकालय		

वर्ग मीटर में प्रशासनिक क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्र) (*परिशिष्ट -4 के अनुसार भरा जाना है*)

विवरण	प्राचार्य/निदेशक	बोर्ड रूम	सभी कार्यालय	विभागाध्यक्ष के लिए केबिन और विभाग कार्यालय	स्टाफ रूम	केंद्रीय स्टोर	रखरखाव	सिक्योरिटी	हाउसकीपिंग	कर्मचारियों के लिए पेंट्री	परीक्षा नियंत्रण कार्यालय	प्लेसमेंट कार्यालय
प्रति कमरा **वर्ग मीटर** में कार्पेट क्षेत्र												
उपलब्ध रूम की संख्या (नए तकनीकी संस्थान के लिए)												
रूम की कुल संख्या												

वर्ग मीटर में सुविधा क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्र) (*परिशिष्ट -4 के अनुसार भरा जाना है*)

विवरण	शौचालय (महिला/पुरुष)	लड़कों का कॉमन रूम	लड़कियों का कॉमन रूम	कैफेटेरिया	स्टेशनरी स्टोर और रिप्रोग्राफी	प्राथमिक चिकित्सा सह बीमार कक्ष	प्राचार्य का क्वार्टर	गेस्ट हाउस	स्पोर्ट्स क्लब/जिमखाना	सभागार	लड़कों का हॉस्टल	लड़कियों का हॉस्टल
एक से अधिक कार्यक्रम वाले तकनीकी परिसर के लिए प्रति रूम वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र												
एक कार्यक्रम वाले तकनीकी परिसर के लिए प्रति रूम वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र												
उपलब्ध रूम की संख्या (नए तकनीकी संस्थान के लिए)												
रूम की कुल संख्या												

आवश्यक और वांछनीय आवश्यकताएं

आवश्यक आवश्यकताएं

क्रमांक	आवश्यकता	प्रकार	उपलब्धता (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो कारण/टिप्पणी
1	ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना	आवश्यक	
2	एंटी रैगिंग कमेटी की स्थापना	आवश्यक	
3	संस्था में शिकायत निवारण समिति की स्थापना।	आवश्यक	
4	आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना	आवश्यक	
5	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए समिति की स्थापना (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 1989 की संख्या 33, दिनांक 11.09.1989 के अनुसार)	आवश्यक	
6	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल	आवश्यक	
7	विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण	आवश्यक	
8	अग्नि और सुरक्षा प्रमाणपत्र	आवश्यक	
9	छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप नीति का कार्यान्वयन	आवश्यक	

10	शिक्षकों को एनआईटीटीटी दिशानिर्देशों के माध्यम से शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना	आवश्यक	
11	डीजीएस आवश्यकताओं के अनुसार, वीआईसीटी पाठ्यक्रम और एईसीएस के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को सुविधा प्रदान करना	आवश्यक	
12	छात्र प्रेरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन	आवश्यक	
13	परीक्षा सुधारों का कार्यान्वयन	आवश्यक	
14	परिसर में सलामती और सुरक्षा उपाय	आवश्यक	
15	संस्थान में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन	आवश्यक	
16	एमओई के निर्देशों के अनुसार सभी वित्तीय लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान	आवश्यक	
17	संस्थान की वेबसाइट (क्विक लिंक के रूप में) के प्रमुख स्थान पर अनिवार्य प्रकटीकरण के साथ भा स वि (मान्यता स्थिति और शासक मंडल सहित) को प्रस्तुत जानकारी का प्रदर्शन	आवश्यक	
18	भाषा प्रयोगशाला (डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम वाले संस्थानों के लिए)	आवश्यक	
19	कार्यनीतिक स्थानों पर पीने के पानी के लिए पोर्टेबल जल आपूर्ति और आउटलेट	आवश्यक	
20	इलेक्ट्रिकल ग्रिड विद्युत आपूर्ति कनेक्शन	आवश्यक	
21	बैकअप इलेक्ट्रिक सप्लाई	आवश्यक	
22	खेल सुविधा	आवश्यक	
23	एक स्थायी हरित परिसर सुनिश्चित करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण सुधार के उपाय	आवश्यक	
24	सीवेज डिस्पोजल प्रणाली	आवश्यक	
25	परिसर के भीतर और साथ ही संस्थान की वेब साइट पर प्रदर्शित बोर्ड छात्रों और उपलब्ध संकाय की प्रतिक्रिया सुविधा को दर्शाता है।	आवश्यक	
26	प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा और परामर्श सुविधाएं	आवश्यक	
27	छात्र सुरक्षा बीमा	आवश्यक	
28	कर्मचारियों के लिए प्रदान की जाने वाली समूह दुर्घटना नीति	आवश्यक	
29	स्वयं और स्वयं प्रभा के माध्यम से एमओओसी देखने की सुविधा	आवश्यक	
30	मोटर वाहन द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त सड़क- मोटर चालित सड़क	आवश्यक	
31	संस्थान-उद्योग सेल	आवश्यक	
32	राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की सदस्यता के लिए आवेदन किया	आवश्यक	
33	संस्थान की स्थापना के बाद से अब तक प्राप्त एआईसीटीई/डीजीएस अनुमोदन (बाद के वर्षों के एलओए और ईओए) की प्रतियां संस्थान की वेबसाइट पर रखना और संस्थान के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी देना।	आवश्यक	
34	छात्र परामर्शदाता की नियुक्ति	आवश्यक	
35	वाहन पार्किंग	आवश्यक	
36	सामान्य सूचना बोर्ड और विभागीय सूचना बोर्ड	आवश्यक	
37	ऑनलाइन बैठकें, वेबिनार, कक्षाएं और परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रावधान / सुविधाएं	आवश्यक	
38	संस्थान के प्रवेश द्वार पर संस्थान में पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) और "स्वीकृत प्रवेश" का प्रदर्शन।	आवश्यक	
39	पूर्व छात्र सेल	आवश्यक	

40	स्विमिंग पूल (डीजीएस विनिर्देशों के अनुसार)	आवश्यक*	
41	परेड मैदान	आवश्यक*	
42	नाव कार्य	आवश्यक*	
43	जहाज-प्रकार का खम्भा	आवश्यक*	
44	वाहन के प्रावधान के साथ डिस्पेंसरी	आवश्यक*	
45	सभागार (डीजीएस विनिर्देशों के अनुसार)	आवश्यक*	

*केवल डीजीएस अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक

एक तकनीकी संस्थान की वांछनीय आवश्यकताएं

क्रमांक	आवश्यकता	प्रकार	उपलब्धता (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो कारण/टिप्पणी
1	भारत सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन	वांछनीय	
2	परिषद द्वारा अनुमोदित कौशल विकास पाठ्यक्रमों की पेशकश	वांछनीय	
3	निर्माण सुविधा प्रयोगशाला (फेबलैब)/एआईसीटीई-आइडिया लैब/टिंकरिंग प्रयोगशाला/इनोवेशन प्रयोगशाला	वांछनीय	
4	प्रति विभाग कम से कम एक स्मार्ट क्लास रूम की उपलब्धता	वांछनीय	
5	ग्रिड से जुड़े सोलर रूफटॉप्स/पावर सिस्टम्स की स्थापना	वांछनीय	
6	सामान्य घोषणाओं/पेजिंग और आपात स्थिति में घोषणाओं के लिए कार्यनीतिक स्थानों पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली	वांछनीय	
7	छात्र-संस्थान-अभिभावक बातचीत के लिए उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) सॉफ्टवेयर	वांछनीय	
8	अंतिम वर्ष के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास।	वांछनीय	
9	छात्रों को एसआईएच आदि जैसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास।	वांछनीय	
10	छात्रों को भारतीय ज्ञान प्रणाली से संबंधित क्षेत्रों/विषयों/आपदा प्रबंधन में इंटर्नशिप और परियोजना कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास	वांछनीय	
11	परिवहन	वांछनीय	
12	बैंकिंग सुविधा / स्वचालित टेलर मशीन	वांछनीय	
13	क्लास रूम में एलसीडी (या समान) प्रोजेक्टर	वांछनीय	
14	ऊर्जा के दीर्घकालिक स्रोत	वांछनीय	
15	सभागार (डीजीएस विनिर्देशों के अनुसार)	वांछनीय	
16	कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स	वांछनीय	
17	विधिवत मान्यता प्राप्त एमओओसी के माध्यम से लिए गए पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का उपयोग पूरक पाठ्यक्रम के रूप में किया जाएगा।	वांछनीय	
18	आग, चोरी और अन्य आपदाओं के खिलाफ संपत्ति के लिए प्रदान किया गया सामान्य बीमा	वांछनीय	

19	बौद्धिक संपदा अधिकार सेल	वांछनीय	
20	उन्नत भारत अभियान/सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का कार्यान्वयन	वांछनीय	
21	स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन	वांछनीय	
22	इनोवेशन सेल/क्लब	वांछनीय	
23	सोशल मीडिया सेल	वांछनीय	
24	राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में भागीदारी	वांछनीय	
25	नेशनल इनोवेशन रैंकिंग (एआरआईआईए) में भागीदारी	वांछनीय	
26	प्लास्टिक मुक्त परिसर	वांछनीय	
27	साइबर सुरक्षा के उपाय	वांछनीय	
28	सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों के माध्यम से गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता और सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर के माध्यम से प्रयुक्त सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल निपटान सुनिश्चित करना	वांछनीय	
29	वर्षा जल संग्रहण	वांछनीय	
30	उद्योगों के साथ कम से कम 5 समझौता ज्ञापन	वांछनीय	

पुस्तकों, पुस्तकालय, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटर, प्रयोगशाला उपकरणों के लिए मानदंड

कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और प्रिंटर ***(परिशिष्ट-6 के अनुसार भरा जाना है)***

क्रमांक	कार्यक्रम		प्रस्तावित	छात्रों के अनुपात में पीसी/लैपटॉप की संख्या (न्यूनतम 20 पीसी)	कानूनी प्रणाली सॉफ्टवेयर @	कानूनी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर**	लैन और इंटरनेट	मेल सर्वर और क्लाइंट (उपलब्ध/ अनुपलब्ध)	कलर प्रिंटर सहित प्रिंटर (पीसी/लैपटॉप की कुल संख्या का %)
		डिप्लोमा/स्नातक							
		स्नातकोत्तर							

संस्थान के लिए आवश्यक इंटरनेट स्पीड

स्वीकृत इंटेक	इंटरनेट बैंड विड्थ (1:1)
तक	(*परिशिष्ट-6 के अनुसार भरा जाना है)*

पुस्तकें और पुस्तकालय सुविधाएं (*परिशिष्ट-6 के अनुसार भरा जाना है*)

क्रमांक	**कार्यक्रम**	**विभाग की कुल संख्या**	**शीर्षक**	**वॉल्यूम**	**रीडिंग रूम की सीटिंग**	**रीडिंग रूम में स्थित डिजिटल लाइब्रेरी/इंटरनेट सर्फिंग के लिए मल्टीमीडिया पीसी**
			संख्या		**कुल छात्रों का %**	**कुल छात्रों का %**

जर्नल का सब्स्क्रिप्शन (*परिशिष्ट-6 के अनुसार भरा जाना है*)

कार्यक्रम	**पाठ्यक्रमों की कुल संख्या**	**भारत में प्रकाशित जर्नल**	**विदेश में प्रकाशित जर्नल**
डिप्लोमा			
स्नातक डिग्री कार्यक्रम			
स्नातकोत्तर कार्यक्रम			

मानदंड - संकाय आवश्यकताएं और कैडर अनुपात (*परिशिष्ट-7 के अनुसार भरा जाना है*)

क्रमांक	कार्यक्रम	प्रस्तावित संख्या	संकाय : स्वीकृत इंटेक के आधार पर छात्र	प्राचार्य/ निदेशक	प्रोफेसर	सह-प्रोफेसर	सहायक प्रोफेसर	कुल
				ए	बी	सी	डी	ए+बी+सी +डी

प्रबंधन द्वारा घोषणा

1. श्री/श्रीमती ___________ श्री __________ के पुत्र/पुत्री, ट्रस्ट की ओर से, जो कि __________ है, एतद्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मंत्रालय/एआईसीटीई/एमसीआई/एनसीटीई/आदि के पूर्व अनुमोदन और विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता के अनुदान के बिना आवेदन किए गए कार्यक्रम (कार्यक्रमों) को शुरू नहीं किया जाएगा। आवेदन में दिए गए विवरण से संबंधित सभी मूल दस्तावेज निरीक्षण के समय और जब भी मांगे जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे।

2. विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार निरीक्षण के लिए आवश्यक शुल्क और किसी भी अन्य खर्च या इससे संबंधित किसी भी अन्य खर्च और विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर कॉलेज / संस्थान द्वारा तुरंत भुगतान किया जाएगा।

3. कॉलेज/संस्था के प्रबंधन द्वारा यह समझा और सहमति व्यक्त की गई है कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान की जाती है, तो कॉलेज विश्वविद्यालय के सभी नियमों और विनियमों और अन्य शर्तों, यदि कोई हो, का पालन करेगा। यह भी समझा और सहमति व्यक्त की गई है कि इन नियमों आदि के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भारी जुर्माना या विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता वापस ली जा सकती है।

स्थान: अध्यक्ष/सचिव

तिथि: (बड़े अक्षरों में नाम)

कार्यालय की मुहर

अनुलग्नक II

स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

(एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारत सरकार)

संबद्धता चाहने वाले संबद्ध संस्थान का नाम और पता

पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का विवरण जिसके लिए स्थायी संबद्धता मांगी गई है

क्रमांक	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का शीर्षक	अवधि	वर्ष जिसमें अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई (संबद्धता आदेशों की प्रति संलग्न करें)	संस्थान से भेजे गए बैचों की संख्या शैक्षणिक वर्षों को इंगित करें
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)

प्राचार्य/निदेशक का नाम:

ट्रस्ट/सोसाइटी का विवरण: (ट्रस्ट/सोसाइटी विलेख; ट्रस्ट/सोसाइटी पंजीकरण प्रमाण पत्र; चालू वर्ष के लिए ट्रस्ट/सोसाइटी की बैठक के कार्यवृत्त की फोटो कॉपी संलग्न करें)	

संस्थान का स्थान (स्वयं की भार रहित भूमि; स्वयं की भूमि में निर्मित भवन का प्रमाण संलग्न करें)	

भूमि और भवन का विवरण: (i) उस स्थान का नाम जिसमें भूमि स्थित है (ii) क्षेत्रफल (एकड़ में) (iii) सर्वेक्षण संख्या। (iv) क्या सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है (संलग्न करें) (v) स्थान का नक्शा (संलग्न करें) (vi) क्षेत्र मापन पुस्तकों की प्रतिलिपि (संलग्न करें) (vii) स्वीकृत भवन योजना (संलग्न करें) (viii) पीने योग्य पानी की प्रकृति और उपलब्धता बताएं (ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ पर्याप्त अग्निशामक उपकरणों की उपलब्धता (प्रमाण संलग्न करें) (x) स्वच्छता सुविधाओं की पर्याप्तता (xi) उपलब्ध शौचालय सुविधाओं की संख्या बताएं पुरुष: महिला: (xii) भवन स्थिरता प्रमाणपत्र। (xiii) सरकार/विश्वविद्यालय के मानदंडों और आवश्यकताओं के अनुसार बिजली आपूर्ति और विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता	

वर्ग मीटर में मौजूदा भवन प्लिंथ क्षेत्र का विवरण। (प्रति संलग्न करें)

क्रमांक	विवरण					आरसीसी भवन (वर्ग मीटर में)
1.	कुल शैक्षणिक गतिविधि क्षेत्र					
	क्रमांक	विवरण	संख्या	वर्गमीटर में क्षेत्रफल	बैठक क्षमता	
	(i)	क्लास रूम				
	(ii)	भोजन हॉल				
	(iii)	कार्यशाला				
	(iv)	फर्नीचर की पर्याप्तता				
	(v)	प्रयोगशाला				
	(vi)	पुस्तकालय				
	(vii)	सेमिनार हॉल				
	(viii)	स्टाफ रूम				
	(ix)	सभागार				
2.	कुल प्रशासनिक क्षेत्र					
3.	सुविधाएं: कॉमन रूम, शौचालय की सुविधा, लेडीज रूम, डिस्पेंसरी/प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल सुविधा					
4.	लड़कों के लिए होस्टल (यदि लागू हो) लड़कियों के लिए होस्टल (यदि लागू हो)					
5.	स्टाफ क्वार्टर (यदि लागू हो)					
6.	खेल का मैदान					
7.	अन्य (निर्दिष्ट करें)					
	वर्गमीटर में कुल क्षेत्रफल 1+2					

पुस्तकालय:

पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या बताएं:

जर्नल की संख्या (भारतीय/विदेशी):

क्या एक्सेशन रजिस्टर रखा गया है: हाँ/नहीं।

प्रत्येक विभाग के लिए उपलब्ध पुस्तकालय सुविधाओं का विवरण:

उस पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के लिए उपलब्ध पुस्तकों/जर्नल की संख्या को इंगित करें जिनके लिए स्थायी संबद्धता की मांग की गई है:

क्रमांक	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का नाम	उपलब्ध पुस्तकों की संख्या

संकाय

सूची-ए

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	नियुक्त संकाय का नाम (कार्य भार मानदंडों के अनुसार)	प्रत्येक संकाय का कुल कार्य भार

सूची – बी

क्रमांक	विभाग का नाम	संकाय/प्रशिक्षक का नाम	संकाय/प्रशिक्षक का पदनाम	नियुक्ति की तिथि

i) परियोजनाओं का विवरण (यूजीसी/सीएसआईआर/आईसीएमआर आदि) राशि, अवधि और मुख्य जाँचकर्ता का नाम।

ii) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में शिक्षकों की भागीदारी का विवरण।

iii) शिक्षकों द्वारा जीते गए पुरस्कारों का विवरण।

सूची – सी

प्रशासनिक स्टाफ का विवरण

क्रमांक	स्टाफ का नाम	पदनाम	योग्यता	नियुक्ति की तिथि

तकनीकी स्टाफ का विवरण

क्रमांक	स्टाफ का नाम	पदनाम	योग्यता	नियुक्ति की तिथि

पिछले पांच वर्षों में छात्रों की संख्या का विवरण (यदि कोई हो):

क्रमांक	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का नाम	शैक्षणिक वर्ष	स्वीकृत संख्या	दाखिल की गई संख्या	क्या आरक्षण नीति का पालन किया जाता है, यदि लागू हो (एससी/एसटी/पीएच)

पिछले पांच वर्षों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत (यदि कोई हो):

क्रमांक	शैक्षणिक वर्ष	उपस्थित छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण संख्या	पास का%	I क्लास का %	विश्वविद्यालय रैंक यदि कोई हो

विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित लेकिन संचालित नहीं किए गए पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के नाम बताएं। क्या पाठ्यक्रम के निलंबन के लिए विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

क्रमांक	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का नाम	वर्ष जिसमें प्रस्तावित नहीं किया गया और क्या विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त की गई थी

फंड की स्थिति: (प्राइवेट कॉलेजों के मामले में):

कॉलेज के गत पांच वर्षों के लेखा का लेखापरीक्षित विवरण संलग्न करें।

शासी निकाय / सलाहकार समिति:

यदि लागू हो तो संविधान की एक प्रति और अंतिम बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न करें

कोई अन्य विवरण:

प्राचार्य के हस्ताक्षर

मुहर और तिथि

अनुलग्नक –III

वार्षिक प्रतिवेदन

(30 सितंबर तक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में जमा करना होगा)

प्रारूप

- संबद्ध संस्थान का नाम, पता और संपर्क विवरण:
- प्राचार्य का नाम, पता और संपर्क विवरण:
- संबद्ध संस्थान के शासी निकाय/प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का नाम, पता और संपर्क विवरण:
- बोर्ड के सदस्यों का विवरण:
- शैक्षणिक सलाहकार समिति का विवरण:
- विचाराधीन वर्ष में आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या:
- विचाराधीन वर्ष में आयोजित शैक्षणिक सलाहकार समिति की बैठकों की संख्या:
- संस्थागत शासन/संकाय के प्रदर्शन पर छात्रों की प्रतिक्रिया (निरीक्षण के दौरान जाँच के लिए तैयार रखा जाना प्रमाण):
- विचाराधीन वर्ष के दौरान शुरू किया गया कोई भी नया पाठ्यक्रम:
- भूमि का विवरण जिसमें संस्थान स्थित है:

I. कुल क्षेत्रफल (एकड़ में):

II. क्या स्वामित्व/पट्टे पर लिया गया है:

III. यदि पट्टे पर लिया गया है, तो पट्टे की अवधि:

IV. निर्मित क्षेत्र (एकड़ में):

- सांविधिक निकायों द्वारा दिए गए अनुमोदन/विस्तार के अनुमोदन का विवरण:

कार्यक्रम	द्वारा अनुमोदित	शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमोदन	संदर्भ संख्या और तिथि	स्वीकृत

- भा.स.वि. से संबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण:

कार्यक्रम का नाम	भा.स.वि. के साथ संबद्धता			
	अनुमोदन का वर्ष	संदर्भ संख्या और तिथि	स्वीकृत इंटेक	किस वर्ष तक निरंतरता शुल्क का भुगतान किया गया है

- स्थापना के बाद से भा.स.वि. से संबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के विवरण:

कार्यक्रम का नाम	शैक्षणिक वर्ष	भर्ती छात्रों की संख्या	ड्रॉप आउट	उन छात्रों की संख्या जिन्होंने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उत्तीर्ण हो गए हैं

- नियुक्त और कार्यरत संकाय के कार्यक्रम-वार विवरण:

कार्यक्रम का नाम	संकाय का नाम और पदनाम	योग्यता	क्या स्थायी/ अस्थायी/ अनुबंध	कार्य करने की तिथि

- नियमित संकाय संख्या:

कार्यक्रम का नाम	पिछले शैक्षणिक वर्ष के अंत में कुल संकाय	वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान चले गए संकाय	वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान जुड़े हुए संकाय	वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के अंत में कुल संकाय

- पिछले 5 वर्षों से डीएनएस कार्यक्रम के मामले में प्रायोजन का विवरण (डीजीएस अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए लागू):

शैक्षणिक वर्ष	बैच	प्रायोजक एजेंसी का नाम और पता	टाई-अप किए गए ऑन-बोर्ड प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या	वास्तव में प्लेस किए गए छात्रों की संख्या

- गैर-डीजीएस पाठ्यक्रमों के अध्ययन के तहत शैक्षणिक वर्ष के लिए प्लेसमेंट का विवरण:

शैक्षणिक वर्ष	बैच	कंपनी/संस्थान का विवरण जहां छात्रों को रखा गया है	प्लेस किए गए छात्रों की संख्या	छात्र जिन्हें प्लेस नहीं किया गया (कारण सहित)

- क्या संस्थान उन्हीं कार्यक्रमों के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध है जो वर्तमान में भा.स.वि. से संबद्ध है: हाँ/नहीं

  यदि 'हाँ", वर्ष जिसमें संबद्धता प्राप्त की गई थी:

कृपया नीचे दिखाए अनुसार प्रवेश विवरण प्रदान करें:

कार्यक्रम का नाम	शैक्षणिक वर्ष	स्वीकृत इंटेक	भर्ती छात्रों की संख्या

- प्रस्तुत किए जाने वाले डीजीएस अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए सीआईपी ऑडिट का विवरण। (प्रति संलग्न करें)

क्रमांक	ऑडिट की तिथि	टिप्पणियाँ

- संस्थान के शैक्षणिक विवरणिका में उल्लिखित प्रत्येक विषय के लिए छात्रों से लिया जाता कुल फीस ब्रेकअप। (शैक्षणिक विवरणिका की प्रति संलग्न करें)

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ब्रेअकप के साथ फीस विवरण

- प्रमाणन का विवरण:

  संस्था के लिए प्राप्त रैंकिंग, यदि कोई हो

- निम्न के संबंध में छात्र के खिलाफ की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण:
  - रैगिंग
  - किसी अन्य कारण से
- ISO9001 :2015 का विवरण
- पिछली आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट की प्रति
- पिछली बाह्री ऑडिट रिपोर्ट की प्रति
- पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक संकाय का शिक्षण भार
- वर्ष के दौरान बनाए गए/बदले गए किसी भी अतिरिक्त अवसंरचना का विवरण.

  संलग्नकः माहवार पाठ्यक्रम डायरी संलग्न की जानी है।

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सत्य और सही हैं और दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित हैं।

तिथि: (प्राचार्य के हस्ताक्षर)

स्थान: आधिकारिक मुहर के साथ नाम और पदनाम

(स्वयं या ऐसे अन्य पोर्टल जैसे एकीकृत पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी तंत्र में शिफ्ट होने पर रिपोर्टिंग तंत्र और प्रारूप में परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं।)

अनुलग्नक-**IV**

प्राचार्य/संकाय के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र

1. संकाय

(a) पहला नाम ____________________________________

(b) अंतिम नाम ____________________________________

2. लिंग पुरुष/महिला/अन्य

3. जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) ___/___/_____

4. इंडोस नंबर (यदि लागू हो) ____________________________________

5. पढ़ाने के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम के नाम

6. पता

a. स्थानीय

शहर_______________________________

पिन________________________________

टेलिफोन नं. _________________________

ईमेल ______________________________

b. स्थायी

शहर_______________________________

पिन________________________________

टेलिफोन नं. _________________________

ईमेल ______________________________

7. पासपोर्ट नंबर ____________________________________

8. आधार नंबर ____________________________________

9. सीडीसी संख्या/जारी करने की तिथि/प्रकार। (यदि लागू हो) ____________________

10. सीओसी संख्या/जारी करने की तिथि/प्रकार। (यदि लागू हो) ____________________

11. शैक्षणिक योग्यता

क्रमांक	प्रदान किया गया डिग्री/डिप्लोमा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	शिक्षण का स्थान	क्लास/ डिवीजन / डिस्टिंक्शन	उत्तीर्ण होने का वर्ष

12. पेशेवर / कार्य अनुभव:

क्रमांक	पदनाम	संस्थान	कर्तव्यों का प्रकार	अवधि		अनुभव (वर्ष)
				से	तक	

संकाय सदस्यों/प्राचार्य के हस्ताक्षर

संस्थान के प्राचार्य/अध्यक्ष या सचिव द्वारा घोषणा

मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मैंने ऊपर दी गई जानकारी को संकाय सदस्य के संबंध में सत्यापित कर लिया है और यह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि संकाय सदस्य का चयन एक विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया गया है और एक पूर्णकालिक नियमित संकाय के रूप में हमारे संस्थान में जुड़ा है।

मैं समझता/समझती हूँ कि यदि कोई सूचना झूठी पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द माना जाएगा और मैं भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

प्राचार्य/अध्यक्ष या सचिव के हस्ताक्षर *

* संकाय सदस्यों के लिए घोषणा प्राचार्य द्वारा जारी की जानी चाहिए और प्राचार्य के लिए अध्यक्ष या सचिव द्वारा जारी की जानी चाहिए।

(पासपोर्ट साइज़ फोटो)

तिथि:

स्थान: (संकाय का नाम और हस्ताक्षर)

परिशिष्ट -1

संबद्धता- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के लिए कार्यक्रम

क्रमांक	यूजी कार्यक्रम	अवधि (वर्षों में)
1.	बी.टेक - समुद्री इंजीनियरिंग	4
2.	बी.टेक - नेवल आर्किटेक्चर एवं महासागर इंजीनियरिंग	4
3.	बीएससी - समुद्री विज्ञान	3
4.	बीबीए - लौजिस्टिक्स, रिटेलिंग एवं ई-कॉमर्स	3
5.	प्रशिक्षुता एम्बेडेड बीबीए (समुद्री लौजिस्टिक्स)	3
6.	समुद्री विज्ञान में डिप्लोमा	1
7.	बीएससी (जहाज निर्माण एवं मरम्मत)	3

क्रमांक	पीजी कार्यक्रम	अवधि (वर्षों में)
1.	एम.टेक - नेवल आर्किटेक्चर एवं महासागर इंजीनियरिंग	2
2.	एम.टेक - ड्रेजिंग एवं हार्बर इंजीनियरिंग	2
3.	एम.टेक - समुद्री इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन	2
4.	एमबीए - अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं लौजिस्टिक्स प्रबंधन	2
5.	एमबीए - पोर्ट एवं शिपिंग मैनेजमेंट	2

क्रमांक	पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम	अवधि (वर्षों में)
1.	समुद्री इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1

परिशिष्ट - 2

निरीक्षण समिति फीस / संबद्धता फीस

निरीक्षण फीस

प्रारंभिक/द्वितीय/प्रत्येक मुलाकात - 50000 रुपये + टीए/डीए और मानदेय @ 5000 / - निरीक्षण समिति के प्रति समिति सदस्य। यह फीस प्रोसेसिंग फीस के अतिरिक्त है। (पहली/दूसरी मुलाकात के संतोषजनक परिणाम न मिलने पर मुलाकात को बढ़ाया जा सकता है)

संबद्धता फीस

- फीस का ऑनलाइन भुगतान 15000 रुपये प्रति पाठ्यक्रम [आवेदन फीस 5000 रुपये + पंजीकरण फीस 10000 रुपये] + जीएसटी
- यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, तो प्रोसेसिंग फीस 40,000 रुपये (ऑनलाइन) प्रति पाठ्यक्रम+ जीएसटी।
- प्रारंभिक (अस्थायी) संबद्धता फीस को एक बार की फीस के रूप में एक पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता प्रदान करते समय नीचे दी गई दरों पर भुगतान किया जाना है:

(a) बीएससी, (समुद्री विज्ञान) के लिए अग्रणी डीएनएस पाठ्यक्रम के लिए

छात्रों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क (रुपये में)
80 तक	2,00,000
81 − 160	4,25,000
161 − 240	6,75,000
241 और उससे अधिक	9,50,000

(b) अन्य यूजी डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए (प्रति पाठ्यक्रम)

छात्रों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क (रुपये में)
40 तक	1,50,000
41 − 80	3,25,000
81− 120	5,25,000
121 और उससे अधिक	7,50,000

(c) पीजी पाठ्यक्रम के लिए (प्रति पाठ्यक्रम)

छात्रों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क (रुपये में)
20 तक	3,00,000
21 −40	6,00,000

A) अस्थायी संबद्धता शुरू में 3 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी, और बाद में एक बार में 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी। अस्थायी संबद्धता के विस्तार/निरंतरता के समय हर 3 वर्ष में 50,000 रुपये (स्वीकृत संख्या के बावजूद) का एक फ्लैट निरंतरता फीस का भुगतान करना होगा ।

9 वर्षों के अंत में एक संबद्ध संस्थान स्थायी संबद्धता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन एक संबद्ध संस्थान को जल्द से जल्द स्थायी संबद्धता मिल सकती है, जब वह 10 वर्ष पूरा कर लेता है, और इस अवधि की गणना संस्थान के भा.स.वि. से संबद्धता की तिथि से की जाती है।

B) स्थायी संबद्धता के लिए, संस्थान को सभी पाठ्यक्रमों (डीएनएस, यूजी, पीजी) के लिए प्रति पाठ्यक्रम 10,00,000 रुपये का एक फ्लैट स्थायी संबद्धता फी का भुगतान करना होगा। जब किसी संस्थान को स्थायी संबद्धता मिल जाती है, तो आगे कोई निरंतरता फीस नहीं होगी।

एक संबद्ध संस्थान स्थायी संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही स्वायत्त स्थिति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी।

इस अध्यादेश में उल्लिखित फीस जीएसटी के बिना हैं और इसलिए जीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित जीएसटी लागू किया जाएगा।

परिशिष्ट - 3

भूमि आवश्यकताएं

क्रमांक	कार्यक्रम	**एकड़ में भूमि क्षेत्र की आवश्यकता**		
		डिप्लोमा कार्यक्रम	स्नातक कार्यक्रम	केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रमों प्रस्तावित करने वाले संस्थान (स्नातकोत्तर डिप्लोमा / एमबीए / एम.टेक)

		मेगा और मेट्रो*	शहरी	ग्रामीण	मेगा और मेट्रो*	शहरी	ग्रामीण	मेगा और मेट्रो*	शहरी	ग्रामीण
A.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (डीजीएस और एआईसीटीई स्वीकृत)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
B.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (डीजीएस स्वीकृत)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
C.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (एआईसीटीई स्वीकृत)	1.5 $	1.5	4.0	1.5 $	2.5#	7.5#	0.5 $	0.5	1.0
D.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी	1.5	1.5	4.0	2.5	2.5	7.5	0.5	0.5	1.0
E.	विज्ञान (डीजीएस स्वीकृत)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
F.	विज्ञान	1.5	1.5	4.0	1.5	2.5	7.5	0.5	0.5	1.0
G.	प्रबंधन (एआईसीटीई स्वीकृत)	-	-	-	-	-	-	0.5 $	0.5	1.0
H.	प्रबंधन	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
I.	कानून/मानविकी	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0

* मेगा और मेट्रो शहर: भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रेटर मुंबई (यूए), दिल्ली (यूए) और कोलकाता (यूए), चेन्नई (यूए) बैंगलोर (यूए), हैदराबाद (यूए), अहमदाबाद (यूए), पुणे (यूए), सूरत (यूए) ।

$ *भूमि क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करने की आवश्यकता है:*

अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक (जो लागू है) में निर्दिष्ट निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताओं का पालन किया जाना है। प्राप्त किए गए निर्मित क्षेत्र को उस शहर में नवीनतम भवन उप-नियमों (विकास नियंत्रण) के अनुसार संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित भवन उपनियमों की एक प्रति उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय सांविधिक निकाय से स्वीकृत योजना की प्रति और उसी निकाय से पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ पूर्णता योजना भी प्रदान करें। अस्थायी अधिभोग प्रमाणपत्र केवल 2 लगातार शैक्षणिक वर्षों के लिए माना जाएगा; दो वर्षों के बाद केवल उपर्युक्त पूर्णता प्रमाणपत्र और समापन योजना पर ही अनुमोदन जारी रखने के लिए विचार किया जाएगा।

आवेदन जमा करने से पहले संबंधित राज्य के अग्निशमन विभाग से अग्नि और जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होता है।

एफएसआई (एफएआर) के अनुसार निर्मित क्षेत्रों की उपलब्धता के अधीन भविष्य में अतिरिक्त पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, यदि मौजूदा भवन में अतिरिक्त निर्माण किया जाना है, तो संरचना इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ मास्टर डिग्री वाले संरचना अभियंता द्वारा संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र और सुरक्षित फाउंडेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना है।

सक्षम प्राधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि स्थान मेगा और मेट्रो/शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है।

मेगा और मेट्रो शहरों में आवश्यक भूमि क्षेत्र की गणना कार्पेट क्षेत्र और नगर निगम उप-नियमों के लिए एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार आवश्यकताओं के आधार पर की जाएगी। हालांकि, पूरे प्रस्ताव के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य पूर्व मंजूरी और अनुमोदन के साथ पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए कुल निर्मित क्षेत्र की गणना की जानी है।

शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक भूमि क्षेत्र अधिकतम दो भूखंडों में होना चाहिए। शैक्षणिक, प्रशिक्षण, प्रशासनिक और सुविधाओं का क्षेत्र कम से कम 1.5 एकड़ के एक भूखंड में होना चाहिए। भूखंडों के बीच हवाई दूरी 2 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष भूमि का उपयोग केवल खेल के अवसरंचना/होस्टल/स्टाफ आवास और संस्थान की संबंधित शैक्षिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश या संबंधित सरकार द्वारा पहाड़ी के रूप में घोषित किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में भूमि की पहाड़ी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भूमि 3 टुकड़ों में उपलब्ध कराई जाएगी जो एक दूसरे से 2 किमी से अधिक दूर नहीं होनी चाहिए।

g) संस्थान द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों/स्तरों में से आवश्यक कुल भूमि उच्चतम होगी। तथापि, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार संचालित सभी कार्यक्रमों/स्तरों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थान के पास पर्याप्त निर्मित क्षेत्र होना चाहिए।

हालांकि, संस्थान परिसर में या अन्य आसन्न संस्थानों, निगम के मैदानों, निजी सुविधाओं आदि के साथ व्यवस्था के माध्यम से छात्रों के लिए इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए खेल के मैदान (स्वामित्व वाली या किराए पर) की सुविधाओं के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करेगा।

नोट:

भूमि आवश्यकता के प्रचलित/कम किए गए मानदंडों से उत्पन्न अधिशेष भूमि/निर्मित क्षेत्र में अन्य शैक्षिक पाठ्यक्रम/संस्थानों (तकनीकी/गैर-तकनीकी) को शुरू करने की अनुमति है। इसके अलावा, ऐसी अतिरिक्त भूमि का उपयोग संबंधित प्राधिकारी द्वारा ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी को दिए गए भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे पाठ्यक्रम/संस्थानों के पास आवश्यक सुविधाओं को साझा किए बिना ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपनी सुविधाएं हों, जैसे पहले से अनुमोदित तकनीकी संस्थान के साथ क्लास रूम, प्रयोगशाला आदि । हालांकि, सामान्य सुविधाएं जैसे कि प्रशासनिक अवसंरचना, कैंटीन, सभागार, खेल का मैदान, पार्किंग, आदि साझा की जा सकती हैं, बशर्ते यह सभी कार्यक्रमों के सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती हो।

1994 से पहले स्थापित एक संस्थान के लिए, लागू किए गए कार्यक्रम (कार्यक्रमों)/पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/डिवीजन के लिए उस पर मौजूद मानदंडों के अनुसार भूमि की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए। उन मानदंडों में किसी भी विचलन के मामले में, अनुमोदन के विस्तार की मांग के समय संस्थान को मौजूदा मानदंडों का पालन करना होगा।

1994 के बाद स्थापित संस्थान के लिए, उस पर लागू कार्यक्रम (कार्यक्रमों)/पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/डिवीजन के लिए संस्थान की स्थापना के समय लागू मानदंडों के अनुसार भूमि की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए। उन मानदंडों में किसी भी विचलन के मामले में, अनुमोदन के विस्तार की मांग के समय संस्थान को मौजूदा मानदंडों का पालन करना होगा। यदि संस्थान (सी या डी) को बाद में और अधिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों/डिवीजन के लिए मंजूरी दी गई है, तो संबंधित मानदंडों के अनुसार भूमि की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

साइट/स्थान बदलने या मौजूदा संस्थानों में नया कार्यक्रम/स्तर शुरू करने के लिए, भूमि का गिरवी रखना स्वीकार्य है।

परिशिष्ट- **4**

निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताएं

संस्थान क्षेत्र को प्रशिक्षण क्षेत्र (आईएनए, वर्ग मीटर (m^2) में कार्पेट क्षेत्र), प्रशासनिक क्षेत्र (एडीए, वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र), सुविधा क्षेत्र (एएमए, वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र) और एक्सेस और सर्क्युलेशन क्षेत्र (एसीए, वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र) में बांटा गया है। । वर्गमीटर में कुल निर्मित क्षेत्र (आईएनए+एडीए+एएमए+एसीए) के बराबर है।

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में संबद्ध शाखाओं के मामले में, अधिकतम 30% प्रयोगशालाओं को साझा किया जा सकता है। स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए, स्नातक कार्यक्रमों के प्रशासनिक क्षेत्र को साझा किया जा सकता है। संस्थानों में बैरियर मुक्त वातावरण और खेल सुविधाएं होंगी।

i) **निम्न के लिए वर्ग मीटर में प्रशिक्षण क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्र)**:

A. (डीजीएस और एआईसीटीई स्वीकृत) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री / एकीकृत / ड्यूल डिग्री के तहत)

या

B. (एआईसीटीई स्वीकृत) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री / एकीकृत / ड्यूल डिग्री के तहत) संस्थान

या

C. **इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/एकीकृत/ड्यूल डिग्री के तहत) संस्थान**

विवरण	**आवश्यक रूम की संख्या**	**प्रति रूम वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र**
क्लास रूम	डिवीजन की कुल संख्या x 0.75	66 (60** उम्मीदवारों के लिए) / 33*
ट्यूटोरियल रूम+	कुल क्लास रूम का 25%	33
प्रथम वर्ष के लिए प्रयोगशाला	4 (जिसमें बुनियादी विज्ञान के लिए 2 प्रयोगशालाएं शामिल हैं)	66
प्रथम वर्ष के अलावा अन्य प्रयोगशाला	प्रति वर्ष प्रति पाठ्यक्रम 2	66
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला	प्रति पाठ्यक्रम 1	66
	1 अनुसंधान प्रयोगशाला	66
कार्यशाला#	1	200
ड्राइंग हॉल#*	1	132
कंप्यूटर केंद्र#	1	150
सेमिनार हॉल	1	132
पुस्तकालय	1	400
भाषा/संचार प्रयोगशाला+	1	33

3 से अधिक डिवीजन वाले पाठ्यक्रमों के लिए, उक्त पाठ्यक्रमों के लिए यथानुपात आधार पर अपेक्षित संख्या के समतुल्य अतिरिक्त प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी।

* केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए लागू।

** डीजीएस पाठ्यक्रमों के लिए क्लास रूम की संख्या 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

+ भाषा प्रयोगशाला में उपयुक्त सॉफ्टवेयर के साथ कम से कम 20 कंप्यूटर होंगे। अतिरिक्त प्रयोगशाला की आवश्यकता है, यदि डिवीजन की संख्या> 5 है।

++ 420 "स्वीकृत इंटेक" से अधिक प्रति 60 छात्रों पर 50 वर्ग मीटर का अतिरिक्त पुस्तकालय क्षेत्र।

नीचे दिए गए अनुसार ड्राइंग हॉल, कंप्यूटर केंद्र और कार्यशाला बनाए जाएंगे:

स्वीकृत इंटेक	कंप्यूटर केंद्र	कार्यशाला	ड्राइंग हॉल
600 तक	1	1	1
601-1200	2	2	2
अवसंरचना आवश्यकता की गणना 1200 से अधिक "स्वीकृत इंटेक" के लिए आनुपातिक आधार पर की जाएगी			

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ साझा की जाने वाली स्नातक प्रयोगशालाओं को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा।

संस्थान में एलसीडी प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट कनेक्शन आदि के साथ एक स्मार्ट क्लास रूम / पाठ्यक्रम होगा। संस्थानों में ऑनलाइन क्लास (थ्योरी और प्रैक्टिकल) आयोजित करने की सुविधा होनी चाहिए।

सेमिनार हॉल में उचित सामान और उपकरण जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, पीए सिस्टम और एग्जीक्यूटिव चेयर्स होंगी।

संस्थानों में एमओओसी सुविधा केंद्र और इनोवेशन/फैब प्रयोगशाला होनी चाहिए।

ii) **निम्न के लिए वर्ग मीटर में प्रशिक्षण क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्र):**

D. **(डीजीएस स्वीकृत) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री / एकीकृत / ड्यूल डिग्री के तहत) संस्थान**

या

E. **(डीजीएस स्वीकृत) विज्ञान (स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/एकीकृत/ड्यूल डिग्री के तहत) संस्थान**

या

F. **विज्ञान (स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/एकीकृत/ड्यूल डिग्री के तहत) संस्थान**

विवरण	**आवश्यक रूम की संख्या**	**प्रति रूम वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र**
क्लास रूम	डिवीजनों की कुल संख्या के बराबर होना चाहिए	40 कैडेट / उम्मीदवारों के लिए 50
ट्यूटोरियल रूम+	कुल क्लास रूम का 1 या 25% जो भी अधिक हो	25
प्रथम वर्ष के लिए प्रयोगशाला	4 (जिसमें बुनियादी विज्ञान के लिए 2 प्रयोगशालाएं शामिल हैं)	50
प्रथम वर्ष के अलावा अन्य प्रयोगशाला	प्रति वर्ष प्रति पाठ्यक्रम 2	50
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला	प्रति पाठ्यक्रम 1	50
	1 अनुसंधान प्रयोगशाला	50
कार्यशाला#	1	150
ड्राइंग हॉल#*	1	100
कंप्यूटर केंद्र#	1	100
सेमिनार हॉल	1	100
पुस्तकालय	1	100
भाषा/संचार प्रयोगशाला+	1	25

3 से अधिक डिवीजन वाले पाठ्यक्रमों के लिए, उक्त पाठ्यक्रमों के लिए यथानुपात आधार पर अपेक्षित संख्या के समतुल्य अतिरिक्त प्रयोगशालाएं सृजित की जाएंगी।

+ भाषा/संचार प्रयोगशाला में उपयुक्त सॉफ्टवेयर के साथ कम से कम 20 कंप्यूटर होने चाहिए। यदि डिवीजन की संख्या> 5 है, तो अतिरिक्त प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी

नीचे दिए गए अनुसार ड्राइंग हॉल, कंप्यूटर केंद्र और कार्यशालाएं बनाई जाएंगी:

स्वीकृत इंटेक	कंप्यूटर केंद्र	कार्यशाला	ड्राइंग हॉल
400 तक	1	1	1
401-800	2	2	2
अवसंरचना की आवश्यकता की गणना 800 से अधिक "स्वीकृत इंटेक" के लिए आनुपातिक आधार पर की जाएगी			

* विज्ञान (श्रेणी ई और एफ) के लिए ड्राइंग हॉल वैकल्पिक

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ साझा की जाने वाली स्नातक प्रयोगशालाओं को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा।

संस्थान में एलसीडी प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट कनेक्शन आदि के साथ एक स्मार्ट क्लास रूम/पाठ्यक्रम होगा।

संस्थानों में ऑनलाइन क्लास (थ्योरी और प्रैक्टिकल) संचालित करने की सुविधा होनी चाहिए।

सेमिनार हॉल में उचित सामान और उपकरण जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, पीए सिस्टम और एग्जीक्यूटिव चेयर्स होंगी।

संस्थानों में एमओओसी सुविधा केंद्र और इनोवेशन/फैब्रिकेशन प्रयोगशाला होनी चाहिए।

iii) **निम्न के लिए वर्ग मीटर में प्रशिक्षण क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्र)**:

G. **प्रबंधन (एआईसीटीई-अनुमोदित) / प्रबंधन / कानून / मानविकी**

विवरण	**आवश्यक रूम की संख्या**	**प्रति रूम वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र**
क्लास रूम	1 प्रति डिवीजन प्रति वर्ष	66
ट्यूटोरियल रूम	कुल क्लास रूम का 25%	33
कंप्यूटर केंद्र	1	150
सेमिनार हॉल	1	132
पुस्तकालय	1	100

प्रत्येक क्लास रूम एलसीडी प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड और इंटरनेट कनेक्शन से सुसज्जित होगा।

संस्थानों में ऑनलाइन क्लास(थ्योरी और प्रैक्टिकल) संचालित करने की सुविधा होनी चाहिए।

सेमिनार हॉल में उचित सामान और उपकरण जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, पीए सिस्टम और एग्जीक्यूटिव चेयर्स होंगी।

संस्थानों में एमओओसी सुविधा केंद्र और इनोवेशन प्रयोगशाला होगी।

वर्ग मीटर में प्रशासनिक क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्र)

विवरण	प्राचार्य/निदेशक	बोर्ड रूम	सभी कार्यालय	विभागाध्यक्ष के लिए केबिन और विभाग कार्यालय	संकाय रूम	केंद्रीय स्टोर	रखरखाव	सिक्योरिटी	हाउसकीपिंग	कर्मचारियों के लिए पेंट्री	परीक्षा नियंत्रण कार्यालय	प्लेसमेंट कार्यालय
प्रति रूम वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र	30	20	150* 300$	20	5	30	10	10	10	10	30	30
नए तकनीकी संस्थान के लिए आवश्यक रूम की संख्या	1	1	1	-	प्रथम वर्ष छात्र इंटेक/15	1	1	1	1	1	1	-
रूम की कुल संख्या	1	1	1	1/विभाग	संस्थान में प्रति संकाय (मानदंडों के अनुसार) एक	1	1	1	1	1	1	1

$ एक से अधिक कार्यक्रम वाले तकनीकी संस्थान

* एक कार्यक्रम वाले तकनीकी संस्थान

वर्ग मीटर में सुविधा क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्र)

विवरण	शौचालय (महिला/पुरुष)	लड़कों का कॉमन रूम	लड़कियों का कॉमन रूम	कैफेटेरिया	स्टेशनरी स्टोर और रिप्रोग्राफी	प्राथमिक चिकित्सा सह	प्राचार्य का क्वार्टर	गेस्ट हाउस	स्पोर्ट्स क्लब/जिमखाना	सभागार	लड़कों का होस्टल	लड़कियों का होस्टल
एक से अधिक कार्यक्रम वाले तकनीकी परिसर के लिए प्रति रूम वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र	350*	100	100	150	10	10	150	30	200	400	पर्याप्त ^^	पर्याप्त ^^
एक कार्यक्रम वाले तकनीकी परिसर के लिए प्रति रूम वर्ग मीटर में कार्पेट क्षेत्र	150$	75	75	150	10	10	150	30	100	250		
नए तकनीकी संस्थान के लिए आवश्यक रूम की संख्या	पर्याप्त	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
रूम की कुल संख्या	पर्याप्त	1	1	1	1	1	वांछनीय	वांछनीय	वांछनीय	वांछनीय	वांछनीय	वांछनीय

* एक से अधिक कार्यक्रम वाले तकनीकी संस्थान के लिए कुल क्षेत्रफल

$ एक कार्यक्रम वाले तकनीकी संस्थान के लिए कुल क्षेत्रफल

^^ होस्टल विवरण को डीजीएस/एआईसीटीई पाठ्यक्रमों के लिए डीजीएस/एआईसीटीई मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

वर्ग मीटर में सर्क्युलेशन क्षेत्र

सामान्य मार्ग, सीढ़ियां और प्रवेश लॉबी को कवर करते हुए प्रशिक्षण, प्रशासनिक और सुविधा के कुल योग का 25% एक्सेस और सर्कुलेशन क्षेत्र (एसीए) वांछित है।

परिशिष्ट - 5

आवश्यक और वांछनीय आवश्यकताएं

5.A. आवश्यक आवश्यकताएं

1	ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना	आवश्यक
2	एंटी रैगिंग कमेटी की स्थापना	आवश्यक
3	संस्था में शिकायत निवारण समिति की स्थापना।	आवश्यक
4	आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना	आवश्यक
5	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए समिति की स्थापना (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 1989 की संख्या 33, दिनांक 11.09.1989 के अनुसार)	आवश्यक
6	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल	आवश्यक
7	विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण	आवश्यक
8	अग्नि और सुरक्षा प्रमाणपत्र	आवश्यक
9	छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप नीति का कार्यान्वयन	आवश्यक
10	शिक्षकों को एनआईटीटीटी दिशानिर्देशों के माध्यम से शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना	आवश्यक
11	डीजीएस आवश्यकताओं के अनुसार, वीआईसीटी पाठ्यक्रम और एईसीएस के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को सुविधा प्रदान करना।	आवश्यक
12	छात्र प्रेरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन	आवश्यक

13	परीक्षा सुधारों का कार्यान्वयन	आवश्यक
14	परिसर में सलामती और सुरक्षा उपाय	आवश्यक
15	संस्थान में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन	आवश्यक
16	एमओई के निर्देशों के अनुसार सभी वित्तीय लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान	आवश्यक
17	संस्थान की वेबसाइट (क्लिक लिंक के रूप में) के प्रमुख स्थान पर अनिवार्य प्रकटीकरण के साथ भा.स.वि. (मान्यता स्थिति और शासक मंडल सहित) को प्रस्तुत जानकारी का प्रदर्शन	आवश्यक
18	भाषा प्रयोगशाला (डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम वाले संस्थानों के लिए)	आवश्यक
19	कार्यनीतिक स्थानों पर पीने के पानी के लिए पोर्टेबल जल आपूर्ति और आउटलेट	आवश्यक
20	इलेक्ट्रिकल ग्रिड विद्युत आपूर्ति कनेक्शन	आवश्यक
21	बैकअप इलेक्ट्रिक सप्लाई	आवश्यक
22	खेल सुविधा	आवश्यक
23	एक स्थायी हरित परिसर सुनिश्चित करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण सुधार के उपाय	आवश्यक
24	सीवेज डिस्पोजल प्रणाली	आवश्यक
25	परिसर के भीतर और साथ ही संस्थान की वेब साइट पर प्रदर्शित बोर्ड छात्रों और उपलब्ध संकाय की प्रतिक्रिया सुविधा को दर्शाता है।	आवश्यक
26	प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा और परामर्श सुविधाएं	आवश्यक
27	छात्र सुरक्षा बीमा	आवश्यक
28	कर्मचारियों के लिए प्रदान की जाने वाली समूह दुर्घटना नीति	आवश्यक
29	स्वयं और स्वयं प्रभा के माध्यम से एमओओसी देखने की सुविधा	आवश्यक
30	मोटर वाहन द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त सड़क- मोटर चालित सड़क	आवश्यक
31	संस्थान-उद्योग सेल	आवश्यक
32	राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की सदस्यता के लिए आवेदन किया	आवश्यक
33	संस्थान की स्थापना के बाद से अब तक प्राप्त एआईसीटीई/डीजीएस अनुमोदन (बाद के वर्षों के एलओए और ईओए) की प्रतियां संस्थान की वेबसाइट पर रखना और संस्थान के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी देना।	आवश्यक
34	छात्र परामर्शदाता की नियुक्ति	आवश्यक
35	वाहन पार्किंग	आवश्यक
36	सामान्य सूचना बोर्ड और विभागीय सूचना बोर्ड	आवश्यक
37	ऑनलाइन बैठकें, वेबिनार, कक्षाएं और परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रावधान / सुविधाएं	आवश्यक
38	संस्थान के प्रवेश द्वार पर संस्थान में पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) और "स्वीकृत प्रवेश" का प्रदर्शन।	आवश्यक
39	पूर्व छात्र सेल	आवश्यक
40	स्विमिंग पूल (डीजीएस विनिर्देशों के अनुसार)	आवश्यक *
41	परेड मैदान	आवश्यक *
42	नाव कार्य	आवश्यक *

43	जहाज-प्रकार का खम्भा	आवश्यक *
44	वाहन के प्रावधान के साथ डिस्पेंसरी	आवश्यक *
45	सभागार (डीजीएस विनिर्देशों के अनुसार)	आवश्यक

* केवल डीजीएस अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक।

5.B. एक तकनीकी संस्थान की वांछनीय आवश्यकताएं

1	भारत सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन	वांछनीय
2	परिषद द्वारा अनुमोदित कौशल विकास पाठ्यक्रमों की पेशकश	वांछनीय
3	निर्माण सुविधा प्रयोगशाला (फेबलैब)/एआईसीटीई-आइडिया लैब/टिंकरिंग प्रयोगशाला/इनोवेशन प्रयोगशाला	वांछनीय
4	प्रति विभाग कम से कम एक स्मार्ट क्लास रूम की उपलब्धता	वांछनीय
5	ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टॉप्स/पावर सिस्टम्स की स्थापना	वांछनीय
6	सामान्य घोषणाओं/पेजिंग और आपात स्थिति में घोषणाओं के लिए कार्यनीतिक स्थानों पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली	वांछनीय
7	छात्र-संस्थान-अभिभावक बातचीत के लिए उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) सॉफ्टवेयर	वांछनीय
8	अंतिम वर्ष के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास।	वांछनीय
9	छात्रों को एसआईएच आदि जैसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास।	वांछनीय
10	छात्रों को भारतीय ज्ञान प्रणाली से संबंधित क्षेत्रों/विषयों/आपदा प्रबंधन में इंटर्नशिप और परियोजना कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास	वांछनीय
11	परिवहन	वांछनीय
12	बैंकिंग सुविधा / स्वचालित टेलर मशीन	वांछनीय
13	क्लास रूम में एलसीडी (या समान) प्रोजेक्टर	वांछनीय
14	ऊर्जा के दीर्घकालिक स्रोत	वांछनीय
15	सभागार	वांछनीय
16	कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स	वांछनीय
17	विधिवत मान्यता प्राप्त एमओओसी के माध्यम से लिए गए पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का उपयोग पूरक पाठ्यक्रम के रूप में किया जाएगा।	वांछनीय
18	आग, चोरी और अन्य आपदाओं के खिलाफ संपत्ति के लिए प्रदान किया गया सामान्य बीमा	वांछनीय
19	बौद्धिक संपदा अधिकार सेल	वांछनीय
20	उन्नत भारत अभियान/सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का कार्यान्वयन	वांछनीय
21	स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन	वांछनीय
22	इनोवेशन सेल/क्लब	वांछनीय
23	सोशल मीडिया सेल	वांछनीय
24	राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में भागीदारी	वांछनीय
25	नेशनल इनोवेशन रैंकिंग (एआरआईआईए) में भागीदारी	वांछनीय
26	प्लास्टिक मुक्त परिसर	वांछनीय

27	साइबर सुरक्षा के उपाय	वांछनीय
28	सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों के माध्यम से गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता और सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर के माध्यम से प्रयुक्त सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल निपटान सुनिश्चित करना	वांछनीय
29	वर्षा जल संग्रहण	वांछनीय
30	उद्योगों के साथ कम से कम 5 समझौता ज्ञापन	वांछनीय

परिशिष्ट - 6

पुस्तकों, पुस्तकालय, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटर, प्रयोगशाला उपकरणों के लिए मानदंड

- कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और प्रिंटर

क्रमांक	कार्यक्रम		छात्रों के अनुपात में पीसी/लैपटॉप की संख्या (न्यूनतम 20 पीसी)	कानूनी प्रणाली सॉफ्टवेयर @	कानूनी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर**	लैन और इंटरनेट	मेल सर्वर और क्लाइंट	कलर प्रिंटर सहित प्रिंटर (पीसी/लैपटॉप की कुल संख्या का %)
A.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (डीजीएस और एआईसीटीई स्वीकृत)	डिप्लोमा / स्नातक	1:6	3	20	सभी	वांछनीय	5%
		स्नातकोत्तर	1:4					
B.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (डीजीएस स्वीकृत)	डिप्लोमा / स्नातक	1:8	1	10	सभी	वांछनीय	5%
		स्नातकोत्तर	1:8					
C.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (एआईसीटीई स्वीकृत)	डिप्लोमा / स्नातक	1:6	3	20	सभी	वांछनीय	5%
		स्नातकोत्तर	1:4					
D.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी	डिप्लोमा / स्नातक	1:6	1	20	सभी	वांछनीय	5%
		स्नातकोत्तर	1:4					
E.	विज्ञान (डीजीएस स्वीकृत)	डिप्लोमा / स्नातक	1:8	1	10	सभी	वांछनीय	5%
		स्नातकोत्तर	^^					
F	विज्ञान	डिप्लोमा / स्नातक	1:8	1	10	सभी	वांछनीय	5%
		स्नातकोत्तर	1:8					
G	प्रबंधन (एआईसीटीई स्वीकृत)	डिप्लोमा / स्नातक	1:8	1	10	सभी	वांछनीय	5%
		स्नातकोत्तर	1:6					
H	प्रबंधन	डिप्लोमा / स्नातक	1:8	1	10	सभी	वांछनीय	5%
		स्नातकोत्तर	1:6					

I	कानून/मानविकी	डिप्लोमा / स्नातक	1:8	1	10	सभी	वांछनीय	5%
		स्नातकोत्तर	1:6					

^^ डीजीएस मानदंडों के अनुसार, विज्ञान में डीजीएस द्वारा घोषित नए पीजी पाठ्यक्रमों के मामले में।

** साहित्यिक चोरी जाँच सॉफ्टवेयर शामिल है

@पर्याप्त संख्या में सॉफ्टवेयर लाइसेंस की आवश्यकता है

संस्थान के लिए आवश्यक इंटरनेट स्पीड

स्वीकृत इंटेक	इंटरनेट बैंड विड्थ (1:1)*
300 तक	100 एमबीपीएस
301 - 600	300 एमबीपीएस
601 - 900	500 एमबीपीएस
>900	1 जीबीपीएस

* सिंगल कनेक्शन में बैंडविड्थ की अनुपलब्धता के मामले में, निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने के लिए मल्टिपल कनेक्शन सुनिश्चित किए जाएंगे। जहां भी आवश्यक हो कम से कम 8 एमबीपीएस वाई-फाई कनेक्टिविटी और हॉटस्पॉट उपलब्ध कराए जाएंगे (न्यूनतम 5 हॉटस्पॉट) एनपीटीईएल / स्वयं और स्वयं प्रभा आदि देखने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को प्रोत्साहित करें।

विश्वसनीय हार्डवेयर के साथ सुरक्षित वाई-फाई सुविधा की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है।

स्वदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के उपयोग की सिफारिश की जाती है।

पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालयों और संकाय सदस्यों को लैन और इंटरनेट के साथ-साथ विशेष कंप्यूटिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसे छात्र अनुपात के लिए पीसी के लिए निर्धारित आवश्यकता से अधिक के रूप में माना जाएगा।

छात्रों के लिए केंद्रीय फोटो कॉपी सुविधा को प्राथमिकता दी जाती है।

संस्थान की सूची में लैपटॉप भी पीसी में शामिल किया जाएगा ।

एजेंसियों/संगठनों द्वारा प्रदान की गई आईसीटी/अनुसंधान/शैक्षणिक संबंधी अन्य सुविधाओं का प्रभावी उपयोग।

- **प्रयोगशाला उपकरण और प्रयोग**

प्रयोगशालाओं के पास भा.स.वि. के पाठ्यक्रम/पाठ्य विवरण की आवश्यकताओं के लिए बताए गए/उपयुक्त प्रयोगों के लिए उपयुक्त उपकरण होंगे। यह वांछित है कि प्रायोगिक सेट-अप की संख्या इस प्रकार की जाए कि एक सेट पर अधिकतम चार विद्यार्थी कार्य कर सके।

- **पुस्तकें और पुस्तकालय सुविधाएं**

क्रमांक	**कार्यक्रम**	**डिवीजनों की कुल संख्या**	**शीर्षक**	**वॉल्यूम**	**रीडिंग रूम सीटिंग**	**रीडिंग रूम में स्थित डिजिटल लाइब्रेरी/इंटरनेट सर्फिंग के लिए मल्टीमीडिया पीसी**
			संख्या		**कुल छात्रों का %**	**कुल छात्रों का %**
A.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (डीजीएस और एआईसीटीई	बी	100#	500xबी#		
			50* प्रति पाठ्यक्र	250 प्रति*पाठ्यक्रम		

	स्वीकृत)					
B.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (डीजीएस स्वीकृत)	बी	100#	500xबी#	15 % (अधिकतम 150)	न्यूनतम 10
			50* प्रति पाठ्यक्र	250 प्रति*पाठ्यक्रम		
C.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (एआईसीटीई स्वीकृत)	बी	100#	500xबी#	15 % (अधिकतम 150)	न्यूनतम 10
			50* प्रति पाठ्यक्र	250 प्रति*पाठ्यक्रम		
D.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी	बी	100#	500xबी#	15 % (अधिकतम 150)	न्यूनतम 10
			50* प्रति पाठ्यक्र	250 प्रति*पाठ्यक्रम		
E.	विज्ञान (डीजीएस स्वीकृत)	बी	100#	500xबी#	15 % (अधिकतम 150)	
			50* प्रति पाठ्यक्र	250 प्रति*पाठ्यक्रम		
F.	विज्ञान	बी	100#	500xबी#	15 % (अधिकतम 150)	
			50* प्रति पाठ्यक्र	250 प्रति*पाठ्यक्रम		
G.	प्रबंधन (एआईसीटीई स्वीकृत)	बी	100#	500xबी#	25 % (अधिकतम. 100)	
			50* प्रति पाठ्यक्र	250 प्रति*पाठ्यक्रम		
H.	प्रबंधन	बी	100#	500xबी#	25 % (अधिकतम.100)	न्यूनतम 10
			50* प्रति पाठ्यक्र	250 प्रति*पाठ्यक्रम		
I.	कानून/मानविकी	बी	100#	500xबी#	15 % (अधिकतम.100)	न्यूनतम 10
			50* प्रति पाठ्यक्र	250 प्रति*पाठ्यक्रम		

B (उपरोक्त तालिका में) - प्रथम वर्ष में डिवीजन की संख्या

1#	एक नया तकनीकी संस्थान शुरू करने के समय आवश्यक पुस्तक शीर्षक और वॉल्यूम प्रति विषय समान रूप से वितरित किए जाते हैं।
2*	वार्षिक वृद्धि समान रूप से प्रति विषय वितरित की जाती है।
3	शीर्षकों और वॉल्यूम की कुल संख्या को पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के शुरू होने से 10 वर्षों तक जारी रखा जाएगा, जो कि पुस्तकों का न्यूनतम स्टॉक होगा। संस्थानों को भा.स.वि. द्वारा समय-समय पर पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण में परिवर्तन के आधार पर पुस्तकों की वार्षिक वृद्धि जोड़नी होगी। नोट: भा.स.वि. के पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण के अनुसार 10 वर्षों के बाद, पुराने संस्करण की पुस्तकों को उस कार्यक्रम के लिए आवश्यक कुल न्यूनतम पुस्तकों के 5% द्वारा नवीनतम संस्करण से बदल दिया जाएगा।
4$	अतिरिक्त डिवीजन/पाठ्यक्रम के लिए घटक।
5	पुस्तकों में पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण की आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञान, मानविकी, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान के विषय भी शामिल होंगे।

6	मल्टीमीडिया सुविधा के साथ डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा आवश्यक है।
7	पुस्तकालय में रेप्रोग्राफिक सुविधा आवश्यक है।
8	पुस्तकालय में दस्तावेज़ स्कैनिंग की सुविधा आवश्यक है।
9	मानक वर्गीकरण और सूचीकरण प्रणाली के अनुसार पुस्तकालय की पुस्तक / गैर-पुस्तक प्रसंस्करण आवश्यक है।
10	ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की एक्सेस के लिए सुविधाएँ आवश्यक हैं।
11	बार कोडिंग सहित लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर वांछनीय है।
12	स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों के मामले में शीर्षक और वॉल्यूम की कुल संख्या का 66% ई-बुक्स के लिए इंट्रानेट एक्सेस अनिवार्य होगा और यूजी/डिप्लोमा कार्यक्रम के मामले में वांछनीय होगा। एनडीएल/इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (इन्डेस्ट) या किसी अन्य नेशनल कंसोर्टियम में सदस्य के लिए ई-बुक्स की अनुमति है।
13	संस्थान राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का सदस्य होगा। एग्रीगेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
14	संकाय और छात्रों के लिए एनडीएल सदस्यता अत्यधिक वांछनीय है।

- **जर्नल का सब्सक्रिप्शन**

कार्यक्रम	पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	भारत में प्रकाशित जर्नल	विदेश में प्रकाशित जर्नल
डिप्लोमा	एन	6x एन	वांछनीय
स्नातक डिग्री कार्यक्रम	एन	6x एन#	वांछनीय
स्नातकोत्तर कार्यक्रम	एन	6x एन#	6x एन#

एन = पाठ्यक्रमों की संख्या।

नए उत्पादों/विचारों/अवधारणाओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जर्नल/आवधिक/पत्रिकाएं हैं।

पुस्तकालय में सभी जर्नल को "सब्सक्राइब" किया जाना है और कम से कम 25% को स्कोपस / वेब ऑफ साइंस / मेडलाइन द्वारा इंडेक्सड किया जाना है।

विदेशों में प्रकाशित जर्नल की हार्ड कॉपी प्राप्त करना वांछनीय है। तथापि, भारत में प्रकाशित होने वाली जर्नल का सब्सक्रिप्शन अनिवार्य है। ई-जर्नल की सिफारिश की जाती है।

संस्थान द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम/पाठ्यक्रमों के अनुसार, वेब ऑफ साइंस या स्कोपस से संबंधित ई-जर्नल को सब्सक्राइब किया जाएगा।

परिशिष्ट– **7**

मानदंड - संकाय आवश्यकताएं और कैडर अनुपात

7.A. डिप्लोमा कार्यक्रम

क्रमांक	कार्यक्रम	संकाय: छात्र स्वीकृत इंटेक के आधार पर	प्राचार्य/निदेशक	विभागाध्यक्ष	संकाय	कुल
			ए	बी	सी	डी = ए+बी+सी
A.	विज्ञान	1:25	1	1 प्रति विभाग	(S/25) -1	S/25

7.B स्नातक डिग्री कार्यक्रम

क्रमांक	कार्यक्रम	संकाय: छात्र स्वीकृत इंटेक के आधार पर	प्राचार्य/ निदेशक	प्रोफेसर	सह-प्रोफेसर	सहायक-प्रोफेसर	कुल
			ए	बी	सी	डी	ए+बी+सी+डी
A.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (डीजीएस और एआईसीटीई स्वीकृत)	1:20	1	[एस /(20* आर)] -1	[एस /(20* आर)]*2	[एस /(20* आर)]*6	एस /20
B.	**इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (डीजीएस स्वीकृत)	1:20	1	[एस /(20* आर)] -1	[एस /(20* आर)]*2	[एस /(20* आर)]*6	एस /20
C.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (एआईसीटीई स्वीकृत)	1:20	1	[एस /(20* आर)] -1	[एस /(20* आर)]*2	[एस /(20* आर)]*6	एस /20
D.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी	1:20	1	[एस /(20* आर)] -1	[एस /(20* आर)]*2	[एस /(20* आर)]*6	एस /20
E.	**विज्ञान (डीजीएस स्वीकृत)	1:20	1	[एस /(20* आर)] -1	[एस /(20* आर)]*2	[एस /(20* आर)]*6	एस /20
F.	विज्ञान	1:20	1	[एस /(20* आर)] -1	[एस /(20* आर)]*2	[एस /(20* आर)]*6	एस /20
G.	प्रबंधन (एआईसीटीई स्वीकृत)	1:25	1	[एस /(25* आर)] -1	[एस /(25* आर)]*2	[एस /(25* आर)]*6	एस /25
H.	प्रबंधन	1:25	1	[एस /(25* आर)] -1	[एस /(25* आर)]*2	[एस /(25* आर)]*6	एस /25
I.	कानून/मानविकी	1:25	1	[एस /(25* आर)] -1	[एस /(25* आर)]*2	[एस /(25* आर)]*6	एस /25

एस - सभी वर्षों के लिए "स्वीकृत इंटेक" के अनुसार छात्रों की संख्या का योग,

आर = (1+2+6) =9।

** कैडर अनुपात डीजीएस मानदंडों के अनुसार होगा

7.C. स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम

क्रमांक	कार्यक्रम	संकाय: छात्र स्वीकृत इंटेक के आधार पर	प्राचार्य/ निदेशक	प्रोफेसर	सह-प्रोफेसर	सहायक-प्रोफेसर	कुल
			ए	बी	सी	डी	ए+बी+सी+डी
A.	*इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (डीजीएस और एआईसीटीई स्वीकृ	1:15	1	[एस /(15* आर)]-1	[एस /(15* आर)]*	[एस /(15* आर)]*	एस /15

B.	$*इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (डीजीएस स्वीकृत)	1:15	1	[एस /(15* आर)]-1	[एस /(15* आर)]*	[एस /(15* आर)]*	एस /15
C.	*इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (एआईसीटीई स्वीकृत)	1:15	1	[एस /(15* आर)] -1	[एस /(15* आर)]*	[एस /(15* आर)]*	एस /15
D.	*इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी	1:15	1	[एस /(15* आर)] -1	[एस /(15* आर)]*	[एस /(15* आर)]*(	एस /15
E.	$* विज्ञान (डीजीएस स्वीकृत)	1:15	1	[एस /(15* आर)] -1	[एस /(15* आर)]*	[एस /(15* आर)]*(	एस /15
F.	*विज्ञान	1:15	1	[एस /(15* आर)] -1	[एस /(15* आर)]*:	[एस /(15* आर)]*(	एस /15
G.	#प्रबंधन (एआईसीटीई स्वीकृत)	1:20	1	[एस /(20* आर)] -1	[एस /(20* आर)]*	[एस /(20* आर)]*(	एस /20
H.	#प्रबंधन	1:20	1	[एस /(20* आर)] -1	[एस /(20* आर)]*	[एस /(20* आर)]*	एस /20
I.	#कानून/मानविकी	1:20	1	[एस /(20* आर)] -1	[एस /(20* आर)]*	[एस /(20* आर)]*	एस /20

एस - सभी वर्षों के लिए "स्वीकृत इंटेक" के अनुसार छात्रों की संख्या का योग।

*आर = (1+1+1); #आर = (1+2+6)

$ कैडर अनुपात डीजीएस मानदंडों के अनुसार होगा

योग्य प्रोफेसर की अनुपलब्धता के मामले में, एक सह-प्रोफेसर पर विचार किया जा सकता है।

कैडर अनुपात 1:2:6 होगा (डिप्लोमा स्तर पर लागू नहीं)।

संदर्भ

संबद्धता चाहने वाले संस्थानों को संबद्धता, भर्ती नियम, छात्र मामले आदि का उल्लेख करना आवश्यक है।

i. 2020 का अध्यादेश 01
(राजपत्र संख्या 254)

- भा.स.वि. में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित करने वाला अध्यादेश।

ii. 2019 का अध्यादेश 3
(राजपत्र संख्या 345)

- संबद्ध संस्थानों के संकाय और प्राचार्य के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले अध्यादेश।

iii. 2015 का अध्यादेश 77
(राजपत्र संख्या 350)

- स्कूल ऑफ मैरीटाइम मैनेजमेंट में प्रोफेसर (अर्थशास्त्र/वित्त एवं लेखा) के पद के लिए भर्ती नियम।

iv. 2015 का अध्यादेश 78
(राजपत्र संख्या 350)

- स्कूल ऑफ मैरीटाइम मैनेजमेंट में प्रोफेसर (लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन मैनेजमेंट/पोर्ट एवं शिपिंग मैनेजमेंट) के पद के लिए भर्ती नियम।

v. 2015 का अध्यादेश 17

(राजपत्र संख्या 273)

- छात्रों के लिए विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए उपस्थिति की आवश्यकता और अध्ययन में ब्रेक को विनियमित करने के लिए मानदंड।

vi. 2018 का अध्यादेश 01 से 23

(राजपत्र संख्या 273)

- भा.स.वि. के विभिन्न विद्यालयों में प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियम।

vii. 2017 का अध्यादेश 02

(राजपत्र संख्या 183)

- भा.स.वि. परिसरों और संबद्ध संस्थानों के छात्रों के अनुशासन को नियंत्रित करने वाला अध्यादेश।

viii. राजपत्र संख्या: 76 दिनांकित

- अध्याय VII - विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त कॉलेज/संस्थानों में छात्रों का प्रवेश।
- अध्याय XI - छात्रों का प्रवास और स्थानांतरण।

ix. 2016 का अध्यादेश 1

(राजपत्र संख्या 441)

- भा.स.वि. की साहित्यिक चोरी विरोधी नीति पर अध्यादेश।

x. 2015 का अध्यादेश 32

(राजपत्र संख्या 298)

- होस्टल वार्डन के पद के लिए भर्ती नियम।

xi. 2015 का अध्यादेश 33

(राजपत्र संख्या 298)

- पुस्तकालय सहायक के पद के लिए भर्ती नियम।

xii. 2015 का अध्यादेश 42

(राजपत्र संख्या 298)

- इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम।

xiii. 2015 का अध्यादेश 43

(राजपत्र संख्या 298)

- सीमैनशिप प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम।

xiv. 2015 का अध्यादेश 44

(राजपत्र संख्या 298)

- नेविगेशन प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम।

xv. 2015 का अध्यादेश 45

(राजपत्र संख्या 298)

- नेवल आर्किटेक्चर प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम।

xvi. 2015 का अध्यादेश 46

(राजपत्र संख्या 298)

- हाइड्रोलिक्स एवं न्यूमेटिक्स प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम।

xvii. 2015 का अध्यादेश 47

(राजपत्र संख्या 298)

- अप्लाइड मैकेनिकल प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम।

xviii. 2015 का अध्यादेश 48

(राजपत्र संख्या 298)

- इंस्ट्रुमेंटेशन, ऑटोमेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम।

xix. 2015 का अध्यादेश 49

(राजपत्र संख्या 298)

- थर्मोडायनामिक्स एवं बॉयलर रसायन प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम।

xx. 2015 का अध्यादेश 50

(राजपत्र संख्या 298)

- समुद्री भौतिकी प्रयोगशाला के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम।

xxi. 2015 का अध्यादेश 51

(राजपत्र संख्या 298)

कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम।

xxii. 2015 का अध्यादेश 52

(राजपत्र संख्या 298)

कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (भौतिकी) के पद के लिए भर्ती नियम।

xxiii. 2015 का अध्यादेश 53

(राजपत्र संख्या 298)

फिटिंग एवं बेसिक कार्यशाला हेतु वरिष्ठ तकनीशियन के पद हेतु भर्ती नियम।

xxiv. 2015 का अध्यादेश 54

(राजपत्र संख्या 298)

समुद्री कार्यशाला (डीजल/पावर एवं मेंटेनेंस) के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद हेतु भर्ती नियम।

xxv. 2015 का अध्यादेश 55

(राजपत्र संख्या 298)

मशीन शॉप के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम।

xxvi. 2015 का अध्यादेश 56

(राजपत्र संख्या 298)

वेल्डिंग एवं गैस कटिंग कार्यशाला हेतु वरिष्ठ तकनीशियन के पद हेतु भर्ती नियम।

xxvii. 2015 का अध्यादेश 57

(राजपत्र संख्या 298)

बॉयलर शॉप्स के लिए वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम।

xxviii. 2015 का अध्यादेश 79

(राजपत्र संख्या 298)

सहायक लाइब्रेरियन के पद के लिए भर्ती नियम।

नोट : 28-01-2010 *के राजपत्र 38 में प्रकाशित अधिसूचना का अध्याय* I - "*मर्चेंट नेवी में सेवा के प्रशिक्षण के लिए पूर्व समुद्री पाठ्यक्रम के संचालन के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं*" *इसके द्वारा निरस्त की जाती हैं।*